दैनिक
आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्
नव प्रदेश
प्रदेश के साथ पूरा देश...

www.navpradesh.com

रायपुर, शुक्रवार 22 जनवरी 2021, शुक्ल पक्ष-नवमी, विक्रम संवत-2077 वर्ष-09 अंक-319 पृष्ठ-08 मूल्य-3 रुपए रायपुर, बिलासपुर, भोपाल, जबलपुर व रांची से एक साथ प्रकाशित

आज बेबाक

अमेरिका के नए राष्ट्रपति बाइडन ने अपनी प्रशासनिक टीम में भारतीय मूल के 20 लोगों को शामिल कर भारतीय प्रतिभा का जो सम्मान किया है, वह समस्त भारतीयों के लिए गर्व की बात है। हाल ही में कोरोना काल के दौरान ब्रिटेन में भी कुछ समय के लिए सत्ता की बागडोर भारतीय मूल के नेताओं के हाथ आ गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मूल के लोगों की यह उपलब्धियां इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में अंकित होगी। देश के कर्णधारों को चाहिए कि वे भारतीय प्रतिभाओं का पलायन रोकने की कोशिश करें। उन्हें भारत में ही अवसर उपलब्ध कराएं।

'गबर कोरोना' के कहर से उबरने 'जय-वीरू' का मंथन

रायपुर(नवप्रदेश)। कोरोना ने देश-दुनिया के साथ ही राज्य में भी शोले फिल्म के गब्बर की तरह अपना खौफ व आतंक बरपाया। कोरोना के कहर से प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई हैं। अब प्रदेश का नया बजट आने वाला है, जिसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। इसी क्रम में सीएम ने गुरुवार को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा और वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग की बजट तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान इन विभागों के मंत्री टीएस सिंहदेव भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री व मंत्री सिंहदेव के बीच कोरोना के मचाए कहर से उबरने के लिए स्वास्थ्य विभाग की जरूरतों तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने पर मंथन हुआ, ताकि बजट में तदनुसार प्रावधान किया जा सके।

सीरम इंस्टीट्यूट में एक ही दिन दो बार लगी आग, 5 की मौत

जिस प्लांट में आग वहां नहीं बनती वैक्सीन

छग में भी इसी की बनाई कोविशील्ड आई है अब तक

15 दमकल वाहनों ने पाया काबू, 6 का रेस्क्यू

पुणे/ए.। कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) में गुरुवार को दो बार आग लगी। पहली बार की आग में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोगों को बचा लिया गया। यह आग एसआईआई के जिस टर्मिनल 1 गेट पर लगी वहां कोविशील्ड वैक्सीन नहीं बनाई जाती। जिस प्लांट में वैक्सीन बनाई जा रही है उसकी बिल्डिंग बिल्कुल अलग है। यह सीरम इंस्टीट्यूट का नया प्लांट है। दोनों प्लांट के बीच करीब डेढ़ किलोमीटर की दूरी है। इसलिए वैक्सीन कोविशील्ड पूरी तरह सुरक्षित है। आग इतनी भीषण थी कि इस पर काबू पाने के लिए दमकल की करीब 15 गड़ियों को लगाना पड़ा। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर बुलाई गई थी। एसआईआई ऑक्सफोर्ड-एस्ट्रेजेनेका की कोविड वैक्सीन का निर्माण कर रहा है। छत्तीसगढ़ में भी अब तक ■ शेष पृष्ठ 6 पर

पांचवीं मंजिल पर मिले शव

जब आग पर काबू पाने के बाद फायर फायटर्स ने बिल्डिंग का मुआयना किया तो उन्हें पांचवीं मंजिल पर पांच शव मिले। पुणे के मेयर ने पांच मौतों की पुष्टि की । प्रारंभिक तौर पर बताया गया कि प्लांट में चल रहे वेल्डिंग व अन्य इलेक्ट्रिक वर्क के चलते आग लगी। लेकिन दुःखद यह भी रहा कि एक बार आग बुझने के बाद रात को फिर आग लग गई, जिस पर भी काबू पा लिया गया।

खास- खबर

पीएम आवास में अब तक 1.1 करोड़ मकानों को मिली मंजूरी

नई दिल्ली/(वार्ता)। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत अब तक 1.1 करोड़ मकानों के निर्माण को मंजूरी दी गई जिनमें से 70 लाख से अधिक मकानों का निर्माण विभिन्न चरणों में है और 41 लाख से अधिक मकान बनाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी कर केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की 52 वीं बैठक में 168,606 मकानों के निर्माण को मंजूरी दी गई। इस बैठक में 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया। यह बैठक केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मिश्र ने बताया कि कई राज्यों ने पर्यावरण से जुड़े कारणों की वजह से भूमि के आकार में होने वाले बदलाव , अंतर शहरी विस्थापन और अलग-अलग तरह के लाभार्थियों के लिए तय की गई प्राथमिकताओं में परिवर्तन आदि कारणों से प्रस्तावित योजना की पुनर्समीक्षा करने का प्रस्ताव किया है।

'चिकन, अंडे खाएं, लेकिन संभलकर'

नई दिल्ली/(वार्ता)। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं संरक्षा प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने देश में बर्ड फ्लू के मद्देनजर आज दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इनमें कहा गया है कि यदि कुछ सावधानियां बरती जायें तो पॉल्ट्री मीट और अंडे खाने में संक्रमण का खतरा नहीं है। दिशा-निर्देश में कहा गया है कि जिन इलाकों में बर्ड फ्लू फैला हुआ है वहां से पॉल्ट्री उत्पाद लाकर नहीं बेचा जाना चाहिए। साथ ही ग्राहकों को भी चाहिए कि ऐसे पॉल्ट्री उत्पाद न खरीदें। इसके अलावा जिंदा पॉल्ट्री और कच्चे मांस को हैंडल करने वाले लोगों को भी हाथों में दस्ताने और चेहरे पर मास्क पहनने चाहिये तथा साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उपभोक्ताओं को कहा गया है कि वे मांस को धोते और पकाते समय सावधानी रखें।

किसानों को मंजूर नहीं डेढ़ साल तक कृषि कानून टालने का प्रस्ताव

नई दिल्ली/ए.। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों पर केंद्र सरकार के बीच जारी गतिरोध अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से 10वें दौर की वार्ता के दौरान कानूनों के क्रियान्वयन को डेढ़ साल तक के लिए टालने के प्रस्ताव को गुरुवार को अस्वीकार कर दिया है। सरकार की तरफ से कहा गया था कि 1.5 साल तक कानून के क्रियान्वयन को स्थगित किया जा सकता है। इस दौरान किसान यूनियन और सरकार बात करके समाधान ढूंढ सकते हैं। सभी किसानों ने तीनों कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को फिर दोहराया। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद किसान नेता जोगिंदर सिंह उगराहां ने कहा कि मोर्चा द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सरकार के किसी भी प्रस्ताव को तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे कानूनों को रद्द नहीं करती।

आज 11वें दौर की बैठक

शुक्रवार को 11वें दौर की बैठक में किसान सरकार को अपने फैसले से अवगत कराएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को कहा था कि किसान संगठनों के साथ बेहद सकारात्मक बातचीत हुई। चर्चा के दौरान, हमने कहा कि सरकार एक या डेढ़ साल के लिए कृषि कानूनों को रखने के लिए तैयार है। मुझे खुशी है कि किसान यूनियनों ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है।

विधानसभा का बजट सत्र 22 फरवरी से

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 22 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इस संबंध की अधिसूचना गुरुवार को जारी कर दी गई। बजट सत्र 26 मार्च तक चलेगा। इस दौरान कुल 24 बैठकें होंगी। सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण, वित्तीय कार्य तथा अन्य शासकीय कार्य संपन्न होंगे। जिस तरह धान खरीदी को लेकर विपक्षी दल आक्रामक भूमिका में है उसके मद्देनजर बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। यह भी बताया जा रहा है कि मार्च के पहले हफ्ते में बजट पेश किया जा सकता है।

दूसरे चरण में पीएम मोदी लगवा सकते हैं टीका

नई दिल्ली/ए.। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण में टीका लगवा सकते हैं। दूसरे चरण में राज्यों के 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के मुख्यमंत्रियों को भी टीका लगाया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण इसी साल मार्च या अप्रैल में शुरू हो सकता है।

फिलहाल पहले चरण में स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका लगाया जा रहा है। पीएमओ के अधिकारियों के अधिकारियों के हवाले से आई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 'पहला चरण खत्म होने के बाद अपनी बारी आने पर पीएम मोदी टीका लगवाएंगे। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में कहा था कि राजनेताओं को क्रम नहीं तोड़ना चाहिए और टीका तब ही लगवाना चाहिए जब उनकी बारी आएगी।' बता दें कि 11 जनवरी को पीएम मोदी ने कोरोनो के पहले चरण को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी।

तय नहीं कौन सी वैक्सीन चुनेंगे

रिपोर्ट के मुताबिक, जब अधिकारी से यह पूछा गया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में लगाई जा रही दोनों कोरोना वैक्सीन में से किस चुनेंगे तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। भारत में फिलहाल सिरम इंस्टीट्यूट ऑफइंडिया की बनाई कोविशील्ड और भारत बायोटेक की बनाई कोवैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है।

यूपी के हर गांव हर शहर पहुंचेगा प्रियंका का कैलेंडर

लखनऊ/ (वार्ता)। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को नये सिरे से खड़ा करने में व्यस्त पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की संघर्ष गाथा को नये साल के कैलेंडर के जरिये जन जन तक पहुंचाने का अनूठा कार्य किया जा रहा है।

कैलेंडर में यूपी की प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के जनसंपर्कों और संघर्षों की तस्वीरें हैं। 12 पेज के इस कैलेंडर में पहले पेज पर सोनभद्र के उभ्भा जनसंहार के बाद अपनी संवेदना व्यक्त करने सोनभद्र पहुंची प्रियंका गांधी की तस्वीर आदिवासी महिलाओं के साथ छपी है। कैलेंडर में हाथरस में पीड़िता के मां से गले ■ शेष पृष्ठ 6 पर

पार्टी सृजन अभियान में व्यस्त

पार्टी के मीडिया कोर्डिनेटर ललन कुमार ने गुरुवार को बताया कि उत्तर प्रदेश में हर गांव और हर शहर तक वाड्रा द्वारा भेजे गए कैलेंडर कांग्रेस पार्टी पहुंचा रही है। पार्टी फिलहाल अपने संगठन सृजन अभियान में व्यस्त है। न्याय पंचायत के अध्यक्षों और ब्लाक कांग्रेस कमेटी के गठन का काम तेजी से चल रहा है।

10 लाख कैलेंडर भेजे

उन्होंने बताया कि प्रियंका गांधी ने 10 लाख कैलेंडर यूपी में भेजे हैं। नव वर्ष के कैलेंडर को हर गांव और शहर के हर वार्ड तक वितरित करने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया गया है। हर जिले और शहर कमेटी को आबादी के लिहाज से कैलेंडर दिए जा रहे हैं।

12 पुलिस वालों पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश

प्रतापगढ़/वार्ता ए.। 12 पुलिसवालों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश जारी हुआ है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यह आदेश जारी किया है। उत्तरप्रदेश में प्रतापगढ़ के थाना सांगीपुर की पुलिस की दबिश के दौरान लालगंज तहसील के बाबू तारा गांव के एक वृद्ध की मौत के मामले में सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कमल सिंह ने 12 पुलिस कर्मियों पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है। पिछले 19 सितम्बर की रात सांगीपुर पुलिस की दबिश के दौरान मकबूल की मृत्यु हो गई थी। मृतक के परिजन पुलिस पर हत्या का आरोप लगा रहे थे । पुलिस ने जब रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो मृतक मकबूल के बेटे रमजान ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया था ।

युद्धायास

जोधपुर। यहां भारतीय और फ्रांस वायुसेना का अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास 'डेजर्ट नाइट-21' शुरू हो गया। इसमें राफेल लड़ाकू विमान भी शामिल हुए हैं।

शपथ लेते ही बाइडेन ने पलटे ट्रंप सरकार के अहम फैसले

■ **पेरिस जलवायु समझौता अमेरिका के लिए भी लागू होगा**

वाशिंटगन/(वार्ता)। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही पूर्ववर्ती ट्रंप सरकार के अहम फैसलों को पलटकर रखि दिया। इनमें से एक फैसले की जानकारी संयुक्त राष्ट्र ने दी है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि पेरिस जलवायु समझौता 19 फरवरी को अमेरिका के लिए भी लागू होगा। संरा महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि पेरिस समझौता अमेरिका के लिए 19 फरवरी 2021 को अनुच्छेद 21 (3) के अनुसार लागू होगा। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शपथ लेने के बाद अपने तीन कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें एक पेरिस जलवायु समझौता शामिल है।

डब्ल्यूएचओ में शामिल होने का निर्णय भी लिया

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के कुछ धंटों बाद ही उन्होंने इस संबंध का फैसला लिया। जुलाई में बाइडेन ने अपने ट्वीट में कहा था कि जब वह सत्ता में आएंगे तो पहले ही दिन में डब्ल्यूएचओ में शामिल होंगे और मैं विश्व पटल पर नेतृत्व को बहाल करुंगा।

फौसी करेंगे प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस सप्ताह के अंत में डब्ल्यूएचओ की वार्षिक बैठकों में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए राष्ट्रपति ने देश के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ एंथोनी फौसी को चुना है। ट्रम्प और उनके प्रशासन ने डब्ल्यूएचओ से निरंतर दूरियां बनाई थी। विशेषज्ञों और डेमोक्रेट्स ने आलोचना करते कहा था कि ट्रम्प प्रशासन दूसरों पर दोष मढ़ रहे हैं।

बाजार गुरुवार को सेंसेक्स पहली बार 50 हजार के पार पहुंचा पर बंद हुआ गिरावट में

अंतिम घंटे की मुनाफा वसूली ने सेंसेक्स से छीना रिकॉर्ड

मुंबई(वार्ता)। विदेशों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच बीएसई का सेंसेक्स गुरुवार को पहली बार 50 हजार अंक के आंकड़े को छूने के बाद अंतिम घंटे में हुई मुनाफा वसूली से 167 अंक की गिरावट में बंद हुआ। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 167.36 अंक यानी 0.34 प्रतिशत टूटकर 49,624.76 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 54.35 अंक यानी 0.37 प्रतिशत लुढ़ककर 14,590.35 अंक पर बंद हुआ। इससे पहले सेंसेक्स पहली बार 50 हजार अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार करते हुये 304.45 अंक उछलकर 50,096.57 अंक पर खुला और 50,184.01 अंक तक चढ़ा।

हरे निशान में रहे विदेशी बाजार

विदेशों में प्रमुख शेयर बाजार हरे निशान में रहे। एशिया में दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.49 प्रतिशत, चीन का शंघाई कंपोजिट 1.07 प्रतिशत और जापान का निक्की 0.82 प्रतिशत चढ़ा। हैंगसेंग 0.12 प्रतिशत फिसला। यूरोप में जर्मनी का डैक्स 0.37 प्रतिशत और ब्रिटेन का एफटीएसई 0.11 प्रतिशत मजबूत हुआ।

आखिरी घंटे में तेज हुई मुनाफावसूली

विदेशों से मिले सकारात्मक संकेतों से बाजार में तेजी रही, लेकिन आखिरी घंटे में निवेशकों ने मुनाफावसूली तेजी कर दी जिससे बाजार गिरावट में बंद हुआ। बैंकिंग, वित्त, दूरसंचार, तेल एवं गैस, धातु और स्वास्थ्य समूहों की कंपनियों में बिकवाली अधिक रही।

ओएनजीसी का शेयर चार प्रतिशत

सेंसेक्स में ओएनजीसी का शेयर चार प्रतिशत लुढ़क गया। भारती एयरटेल और भारतीय स्टेट बैंक में ढाई-ढाई फीसदी की गिरावट रही। इंडसइंड बैंक और एनटीपीसी के शेयर दो प्रतिशत से अधिक टूटे। बजाज फाइनेंस और ऑटो में ढाई फीसदी से ज्यादा की तेजी रही।

लगातार दूसरे दिन भी स्थिर रहे पेट्रोल और डीजल के दाम

देश में पेट्रोल और डीजल के दाम गुरुवार को लगातार दूसरे दिन स्थिर रहे। देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल गुरुवार को 85.20 रुपये प्रति लीटर पर अपरिवर्तित रहा। मुंबई में यह 91.80 रुपये, चेन्नई में 87.85 रुपये और कोलकाता में 86.63 रुपये प्रति लीटर के भाव बिका। चारों महानगरों में इसकी कीमत रिकॉर्ड स्तर पर है। डीजल की कीमत दिल्ली में 75.38 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर रहा जो 30 जुलाई 2020 के बाद का रिकॉर्ड स्तर है। इसकी कीमत मुंबई में 82.13 रुपये, चेन्नई में 80.67 रुपये और कोलकाता में 78.97 रुपये प्रति लीटर पर रही जो तीनों महानगरों में अब तक का रिकॉर्ड भाव है।

तमिलनाडु चुनाव अभियान की शुरुआत 23 से करेंगे राहुल

चेन्नई/ (वार्ता) कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तमिलनाडु के पश्चिमी इलाके से 23 से 25 जनवरी के बीच आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के अभियान का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के एस अलागिरी ने यहां गुरुवार को श्री गांधी के संभावित दौरे के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि वह (श्री गांधी) कोयम्बटूर, तिरुप्पुर, इरोड, करुर और डिंडीगुल जिलों में कई जन सभाओं को संबोधित करेंगे। गांधी 23 जनवरी को नयी दिल्ली से कोयम्बटूर पहुंचेंगे। श्री गांधी के कोयम्बटूर स्थित चित्रा-कलपत्ति जंक्शन हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद उनका स्वागत किया जाएगा। बाद में उनके सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की संभावना है। उसी दिन श्री गांधी का अविनाशी रोड और तिरुप्पुर में सार्वजनिक स्वागत किया जाएगा। गांधी तिरुप्पुर कुमारन स्मारक स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद औद्योगिक श्रमिकों के साथ बातचीत करेंगे। गांधी तिरुप्पुर में ही रात्रि विश्राम करेंगे।

न्यूज गैलरी

धनोरा में कल से जस प्रतियोगिता

दुर्ग। निकटस्थ धनोरा में 23 जनवरी से दो दिवसीय जस व झांकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में लक्ष्मण बाबा मनीष साहू, वासुदेव सप्रे, चैतुराम साहू, चंद्रशेखर बंजारे, बुंधवतीन बाई सहित अनेक लोग मौजूद रहेगें। बाबा दरबार पावन धाम के मुन्ना गंधर्व ने बताया कि इस आयोजन के लिए जोरदार तैयारी की गई है।

समर्पण अभियान

भिलाई। लघु उद्योग भारती द्वारा सदस्यों से चर्चा एवं लघु उद्योग भारती छग प्रांत परिवार की ओर से भगवान श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के समर्पण अभियान को गति देने एवं अपनी अपने सदस्यों की भावनाओं के अनुरूप समर्पण हेतु एक बैठक का आयोजन वंदे मातरम अपार्टमेंट नेहरूनगर में संपन्न हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में लघु उद्योग भारती सदस्यों ने भाग लिया। प्रमुख रूप से सत्यनारायण अग्रवाल पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, राजेश अग्रवाल प्रदेश उपाध्यक्ष, केएस बेदी प्रदेश कोषाध्यक्ष, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र समर्पण अभियान संयोजक श्रीकांत खेड़िया एवं मनीष भुचासीया, लघु उद्योग भारती प्रांत सचिव दिलीप अग्रवाल, वरिष्ठ सदस्य एवं सचिव पवन बड़जात्या, फूड़ प्रोसेसिंग उद्योग से प्रतिनिधित्व करते हुए विजय अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में सदस्यों ने भाग लिया।

मीडिया ने देखा प्रवासी पक्षियों का बेलौदी में बसेरा

नवप्रदेश संवाददाता

दुर्ग। जिले की विकास उपलब्धियों को देखने के लिए मीडिया की टीम एक दिवसीय प्रवास पर दुर्ग एवं पाटन ब्लाक के विभिन्न क्षेत्रों के भ्रमण पर रही। यहाँ मीडिया की टीम ने जिले के विकास कार्यों के लिए शासन द्वारा की जा रही पहल को देखा। इनमें से मीडिया टीम के लिए सबसे आकर्षक जगह रही बेलौदी। यह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गाँव है और यहाँ की झील में प्रवासी पक्षी आते हैं। इनमें से सबसे खास पक्षी हैं राजहंस जो मानसरोवर में नेस्टिंग करते हैं और तिब्बत से होते हुए माउंट एवरेस्ट को पार करते हुए हिंदुस्तान पहुंचते हैं और यहाँ बेलौदी भी इनके फ्लाई हाईवे में शामिल होता है जहाँ ये सुस्साते हैं ऊर्जा से भरकर आगे का सफर तय करते हैं। मीडिया टीम को इसके बारे में जानकारी तहसीलदार पाटन एवं बर्ड वाचिंग एक्सपर्ट अनुभव शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि यहाँ कुछ दिनों पहले राजहंस स्पाट किये गए। संस्कृत साहित्य में खंजन पक्षियों की काफी चर्चा है और सुंदर आँखों वाली की तुलना खंजन से करते हैं।

यह पक्षी भी यहाँ तालाब में हैं। सुरखाब के जोड़े भी यहाँ पर मौजूद हैं जो काफी दुर्लभ पक्षी है। श्री शर्मा ने बताया कि शासन ने इसे बर्ड वाचिंग परिक्षेत्र बनाने का निर्णय लिया है। इससे इनके संवर्धन में काफी मदद मिलेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि थोड़ी दलदली भूमि होने के कारण पक्षियों को यहाँ काफी खुराक मिल जाता है। पहले यहाँ पेंटेंड स्टार्क कभी कभी आते थे, अब इन्होंने यहाँ स्थायी बसेरा बना लिया है। अभी स्नेक बर्ड ने प्रजनन किया है। साँपों की तरह का गला होने के कारण इन्हें स्नेक बर्ड कहते हैं। गोधन के हितग्राहियों से मिले चंदखुरी गौठान में. मीडिया टीम ने दुर्ग ब्लाक के ग्राम चंदखुरी में गौठान देखा। यहाँ उन्होंने वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन होते देखा।

डॉक्टरों ने लगवाया टीका

नवप्रदेश संवाददाता

दुर्ग। जिले में कोरोना वैक्सीन लगाने का महाअभियान जारी है। प्रथम चरण में यह वैक्सीन हेल्थ वर्करों को दी जा रही है। जिसके लिए दुर्ग.भिलाई के कई स्थानों को सेंटर बनाया गया। जिला अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर पर गुरुवार को अस्पताल के ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. अनिल अग्रवाल, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. अल्पना अग्रवाल के अलावा अन्य डॉक्टरों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद डॉक्टरों ने व्हीक्ट्री साइन बनाकर अपनी खुशियों का इजहार किया। डॉक्टरों का यह व्हीक्ट्री साइन अगले चरण में लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने प्रेरणा व प्रोत्साहन का कार्य करेंगा।

पताल भैरवी मंदिर की तर्ज पर बनेगा शिवलिंग

नवप्रदेश संवाददाता

भिलाई। जिस तरह से राजनांदगांव स्थित माता पताल भैरवी मंदिर में भव्य शिवलिंग की स्थापना की गई है। उसी तरह एक भव्य शिवलिंग की स्थापना सुपेला शीतला मंदिर तालाब के बीचो.बीच की जाएगी। साथ ही शिवलिंग की पूजा कर भक्त परिक्रमा कर सकें इसके लिए चारों ओर परिक्रमा स्थल बनाया जाएगा। यह घोषणा आज महापौर व विधायक देवेंद्र यादव ने की। गौरतलब है कि शीतला मंदिर तालाब का सौंदर्यीकरण कार्य किया जा रहा है। करीब 88 लाख की लागत से तालाब का सौंदर्यकरण कार्य चल रहा है। तालाब के बीचो.बीच मंदिर निर्माण की योजना है। जिस पर आज चर्चा करते हुए पार्षद सहित वार्ड वासियों की मांग पर श्री यादव ने योजना को अपडेट कर भव्य शिवलिंग स्थापित करने की घोषणा की यह शिवलिंग पूरे भिलाई शहर में सबसे बड़ा शिवलिंग होगा। जो भक्तों और भिलाई वासियों के लिए एक बड़ा ही सुंदर और दार्शनिक स्थल बनेगा। महापौर तालाब का निरीक्षण करने पहुंचे। जहां सबसे पहले उन्होंने माता शीतला की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया और माता से हाथ जोड़कर सुपेला सहित भिलाई वासियों के हित और विकास, सुख.शांति और समृद्धि की कामना की। केशव चौबे ने मंत्रोचार कर विधि विधान से पूजा सम्पन कराया। इस अवसर पर वार्ड पार्षद धनेश्वरी साहू व एल्डरमैन तथा निगम के अधिकारी सुनील अग्रहरि व अरविंद शर्मा उपस्थित रहे। महापौर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे काम को तेजी से कराए। साथ ही जनता की मांग पर राजीव नगर में आंगनबाड़ी केंद का नया भवन भी बनाया जाएगा। इसका भी प्रोजेक्ट बन चुका है। इस काम को भी जल्द शुरू करने का निर्देश दिया गया। श्री यादव ने कहा कि वे हमेशा जनता के साथ है और उनके बीच आते रहेंगे।

मॉर्निंग विजिट में आयुक्त ने दिए निर्देश

नवप्रदेश संवाददाता

रिसाली। निगम क्षेत्र में नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं का अपर कलेक्टर व आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने जायजा लिया। मॉर्निंग विजिट के तहत ऐसे स्थानों पर भी नजर रख रहे है जहां अतिक्रमण है। वार्ड 25 आशीष नगर पश्चिम में नाली पर बना, यूरिनल को देख नाराजगी जाहिर करते तोड़ने के निर्देश दिए। आयुक्त आशीषनगर पश्चिम में चल रहे नाली कार्य का निरीक्षण किया। आसपास के क्षेत्र की सफाई व्यवस्था व सड़क को देखा। इस दौरान हैप्पी होम के सामने नाली पर यूरिनल निर्माण को देख नाराजगी जाहिर की। अतिक्रमण हटाने नोटिस जारी करने कहा। नोटिस के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर राजस्व विभाग को कार्रवाई करने कहा। यहां मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत शिविर लगा था। आयुक्त ने शिविर स्थल पहुंचे मरीजों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। रूआबांधा गांधी चैक में शिविर लगाया गया। जिसमें 35 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर 25 लोगों को दवा वितरण किया गया। मॉर्निंग विजिट के तहत दिए गए निर्देश पर कार्य हुआ है कि नहीं इसकी समीक्षा की जाएगी। मॉर्निंग विजिट के दौरान उन्होंने अतिक्रमण हटाने समेत कई अधूरे कार्य को पूर्ण करने निर्देश दिए है। कार्य पूरा हुआ है कि नहीं इस पर प्रभारी अधिकारी को प्रतिवेदन के आधार पर वे भौतिक परीक्षण भी करेंगे।

न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

मा.क्र.//अ-06/ वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक त्रिलोचन यादव पिता श्री गुना साकिन जुनवानी तह. व जिला दुर्ग के द्वारा अपने भूमिस्वामी हक की क्रयशुदा भूमि ग्राम जेवरा प.ह.न. 13 तहसील व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 288/1 रकबा 1131 वर्गफीट भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 24.11.2020 के आधार पर विक्रेता दीपप्रकाश पिता चण्डीलाल के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज कराने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 04.02.2021 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 19.01.2021 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

मुहर **अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

मा.क्र.//अ-06/ वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती किरण साहू पिता/पति युवराज साहू साकिन जुनवानी तह. व जिला दुर्ग के द्वारा अपने भूमिस्वामी हक की क्रयशुदा भूमि ग्राम जेवरा प.ह.न. 13 तहसील व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 288/1 रकबा 1053 वर्गफीट भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 24.11.2020 के आधार पर विक्रेता दीपप्रकाश पिता चण्डीलाल के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज कराने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 04.02.2021 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 19.01.2021 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

मुहर **अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

मा.क्र.//अ-06/ वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक सुबुक तारा पिता/पति जुमैदीन साकिन सिवान लकरी (बिहार) तह. व जिला दुर्ग के द्वारा अपने भूमिस्वामी हक की क्रयशुदा भूमि ग्राम जेवरा प.ह.न. 13 तहसील व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 288/1 रकबा 1056 वर्गफीट भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 24.11.2020 के आधार पर विक्रेता दीपप्रकाश पिता चण्डीलाल के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज कराने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 04.02.2021 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 19.01.2021 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

मुहर **अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

मा.क्र.//अ-06/ वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती राजकुमारी सागरवंशी पिता/पति फत्तेलाल साकिन जुनवानी तह. व जिला दुर्ग के द्वारा अपने भूमिस्वामी हक की क्रयशुदा भूमि ग्राम जेवरा प.ह.न. 13 तहसील व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 288/1 रकबा 1182 वर्गफीट भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 24.11.2020 के आधार पर विक्रेता दीपप्रकाश पिता चण्डीलाल के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज कराने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 04.02.2021 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 19.01.2021 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

मुहर **अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202101100400337

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री जितेन्द्र कुमार सूर्यवंशी आ. के.आर. सूर्यवंशी निवासी सेक्टर 06 भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 314/12 रकबा 0.03 हें/ 3000 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 18.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202101100400326

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री सुनील कुमार सोनवानी आ. मालिकराम सोनवानी निवासी सेक्टर 06 भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 314/6 रकबा 0.02 हें/ 2025 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 18.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202101100400328

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री लक्ष्मीनारायण अजगल्ले आ. टीकाराम अजगल्ले निवासी सेक्टर 05 भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 314/11 रकबा 0.02 हें/ 2000 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 18.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202101100400330

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री संगपुत्र रामटेके आ. प्रभुराम रामटेके निवासी रुआबांधा सेक्टर भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 314/2 रकबा 0.01 हें/ 1520 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 18.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक कुणाल कुमार पटेल आ. देवमन लाल पटेल साकिन कनेरी द्वारा ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 रा.नि.मं. रिसाली तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 397/38 रकबा 0.020 हे. को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता शकील खान आ. हकीम खान से क्रय किया गया है कि नामांतरण किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को आवेदक के नाम पर नामांतरण किए किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 10.02.2021 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 19.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर **अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक श्री मनीष शर्मा आ. स्व. रामस्वरुप शर्मा साकिन इस्पात नगर रिसाली द्वारा ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 रा.नि.मं. दुर्ग 01 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 1028/17 रकबा 0.020 हे. जो उसके स्व. रामस्वरुप शर्मा पिता भानुप्रताप शर्मा के नाम पर दर्ज है की फौती दर्ज किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि का नाम विलोपित किए किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 06.02.2021 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 20.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर **अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक शारदा सिंह ठाकुर आ./पति बृजभूषण सिंह ठाकुर साकिन दुर्ग द्वारा ग्राम अंजोरा प.ह.न. 28 रा.नि.मं. दुर्ग 01 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 154/1 रकबा 1500 वर्गफीट को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता इन्द्रभूषण उर्फ भूषणलाल आ. झाडूराम से क्रय किया गया है कि नामांतरण किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को आवेदक के नाम पर नामांतरण किए किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 29.01.2021 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 11.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर **अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202101100700111

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक चन्द्रेश वर्मा अन्य 01 पिता स्व. रामनारायण वर्मा उर्फ रामायण वर्मा निवासी ग्राम शिवपारा तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 46/194 रकबा 0.006 हे. भूमि जो कि आवेदक/शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार मुन्नीबाई पति रामनारायण की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 28.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 08.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर **तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक आकाश केवर पिता स्व. अशोक कुमार केवर निवासी ग्राम कसारीडीह तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम कसारीडीह तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 708/66 रकबा 0.014 हे. भूमि जो कि आवेदक/शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार अशोक कुमार आ. बाबूलाल केवर की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 09.02.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 21.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर **तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202101100700287

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री भुवन सिन्हा पिता स्व. प्रीतराम सिन्हा निवासी ग्राम कसारीडीह तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम कसारीडीह तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 56/1, 56/2 रकबा 0.028 हे. भूमि जो कि आवेदक/शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार प्रीतराम सिन्हा आ. बुदुग की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 06.02.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 20.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर **तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202101100400412

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका आरती शर्मा पति श्री श्रीकांत शर्मा निवासी भिलाई तह. व जिला दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम जामुल प.ह.न. 18 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 387/33 रकबा 0.009 हें/ 1000 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 19.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202101100400336

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री विजय कुमार आ. सीटूराम निवासी सेक्टर 05 भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 326/13 रकबा 0.03 हें/ 3000 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 18.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग-1 (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आवेदिका प्रतिभा मेरिया आ./पति बलराम साकिन बालोद के द्वारा ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 रा.नि.मं. अण्डा तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1034/35 रकबा 1800 वर्गफीट भूमि विक्रेता बलराम खरान्सु पिसा बिंझवार निवासी बोरसी दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 27.08.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को क्रेता के नाम पर प्रमाणीकरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर दावा हो तो व नियत पेशी दिनांक 29.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम ये इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 13.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया है।

मुहर **नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग-1 (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आवेदक/ क्रेता श्री भगवान कमल आ. स्व. प्रहलाद कमल साकिन से-01 भिलाई के द्वारा ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 रा.नि.मं. अण्डा तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 817/13 रकबा 0.020 हे. अर्थात 2000 वर्गफीट भूमि विक्रेता श्री योगेन्द्र कुमार साहू पिता स्व. श्री लक्ष्मण प्रसाद साहू निवासी सिविक सेंटर भिलाई से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 14.12.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को क्रेता के नाम पर प्रमाणीकरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर दावा हो तो व नियत पेशी दिनांक 08.02.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम ये इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 19.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया है।

मुहर **नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र

मा.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री रिखीराम साहू पिता स्व. तुलाराम साहू निवासी माडल टाउन भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा अपने हक की क्रय शुदा भूमि ग्राम जुनवानी प.ह.नं. 15/21 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नबर 1084/62 रकबा 4.3911 हे. मे से 0.007 हे. भूमि को विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता अंबिका प्रसाद पिता स्व. द्वारिका प्रसाद देवांगन के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 10.02.2021 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 14.01.2021 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर **नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र

मा.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका नाजरीन बानो पति मोहम्मद इकबाल कुरैशी निवासी सुपेला भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा अपने हक की क्रय शुदा भूमि ग्राम नगपुरा प.ह.नं. 02 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नबर 2028, 2029 संयुक्त का टु. रकबा 0.009 हे. भूमि को विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता रीना राजा भोज पति शैलेन्द्र राजा भोज व नारायणी अग्रवाल पिता सुरेश अग्रवाल के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 25.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 11.01.2021 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर **नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धमधा जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-2/2020-21

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती पार्वती निर्मलकर पिता/पति श्री संतोष कुमार निर्मलकर निवासी म.न. 25 वार्ड नं. 05 बेरला रोड अहिवारा तह. धमधा जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम/शहर बानबरद प.ह.न. 60 में स्थित भूमि स्वामी हक भूमि खसरा नंबर 1644/5 रकबा 0.023 हें/ 2436 वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु पुनः निर्धारण के लिए आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 के तहत प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 21.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर **अनुविभागीय अधिकारी धमधा जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-27/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका कचरा बाई पिता/पति खोरबाहरा निवासी उरला मौजा उरला प.ह.नं. 07 रा.नि.मं. दुर्ग तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 409 रकबा 0.36 हे. भूमि बटवारा हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 29.01.2021 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 11.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर **अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर जिला दुर्ग (छ.ग.)
मामले की श्रेणी-राजस्व
ईश्तहार

मा.क्रं. 202101101000140

विषयः अ-06 वर्ष 2020-21

बासीन प.ह.न. 00016 हे.)

पक्षकारों का विवरण :आवेदक पक्षकार- तोरण देवांगन

अनावेदक पक्षकार-

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री तोरण देवांगन पिता गांधीराम द्वारा ग्राम बासीन प.ह.न. 16 रा.नि.म. जामुल तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 30/2 रकबा 0.40 हे. जो उसके स्व. माता खेदिया बाई पति गांधीराम एवं अन्य वर्मा के नाम पर दर्ज है। भूमिस्वामी खेदिया बाई की मृत्यु हो जाने के कारण मृतक का नाम विलोपित कर सहखातेदार का नाम यथावत रखे जाने बाबत् आवेदन पत्र मय खसरा बी-1, मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत किया है।

उपरोक्त भूमि का नामांतरण किए जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति संस्था को उजर या दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 08.02.2021 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपनाा आपत्ति पेश कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 13.01.2021 को जारी किया गया है।

मुहर **अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर (छ.ग.)**

कार्यालय राजस्व निरीक्षक सिकोला दुर्ग (छ.ग.)
सूचना-सीमांकन

संदर्भ- तहसीलदार दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक दिनांक 06.01.2021 वर्ष 2019-20

उपरोक्त आदेश के परिपालन में ग्राम सिकोला प.हन. 08 रा.नि.मं.- सिकोला के भूमि स्वामी/आवेदक श्री नागेश प्रकाश कारेरा आत्मज/ध.प. सुधामो कारेरा के भूमि ग्राम सिकोला में स्थित सीमांकन हेतु आवेदित भूमि ख.न. 202/259 रकबा 0.261 हें का स्थल सीमांकन मेरे द्वारा किया जावेगा। चुंकि उक्त खसरा नंबर से आपकी भूमि भी लगी हुई है या आपके द्वारा बेची गई है। अतः आप अपने समस्त दस्तावेजों (पंजीयन ले आऊट वगैरह) के साथ मौके पर दिनांक 25.01.2021 को 12.00 बजे उपस्थित रहें।

मुहर **राजस्व निरीक्षक सिकोला दुर्ग**

न्यूज गैलरी

शहीद प्लाटून कमांडर की पत्नी को संसदीय सचिव ने बंधाया ढांढस

रायपुर। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने सुकमा में बम को डिफ्यूज करते समय शहीद हुए प्लाटून कमांडर की पत्नी से फोन पर चर्चा कर इस दुख की घड़ी में ढांढस बंधाया। ज्ञात हो कि सुकमा जिला के मीनपा में प्लाटून कमांडर गीता राम राठिया नक्सली द्वारा लगाए बम को डिफ्यूज करते समय शहीद हो गए। इस घटना की जानकारी मिलने पर विकास उपाध्याय ने शहीद कमांडर की पत्नी से दूरभाष पर चर्चा कर इस दुःख के घड़ी में उन्हें ढांढस बधाते हुए एक भाई की तरह विश्वास दिलाया कि वो शहीद परिवार के सुख-दुःख में साथ खड़े हैं और किसी भी प्रकार की जरूरत होने पर मुझे व्यक्तिगत रूप से अवगत् कराने की बात कही। शहीद पत्नि की मांग है कि उनके गृहग्राम सिंघनपुर, जिला रायगढ़ में शहीद कमांडर गीता राम राठिया की प्रतिमा स्थापित किए जाने की बात कही, जिस पर विकास उपाध्याय ने कहा इस संबंध में मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री से चर्चा कर जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करने का आश्वासन दिया।

दुकान का ताला तोड़कर 25 हजार पार

रायपुर। ऑटों पार्टस की दुकान का ताला तोड़कर कैश बाक्स से नगदी 25 हजार रुपये चोरी कर लेने की रिपोर्ट आमानाका थाने में दर्ज की गई है। मिली जानकारी के अनुसार 26 ए नार्थ एवेन्यु चौबे कालोनी रायपुर निवासी ताराचंद पारख ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि टाटीबंध रायपुर में रतन ऑटों पार्टस के नाम से प्रार्थी की शाप में मैनेजर है। जिसमें ट्रक के नये सामान की बिक्री होती है। दिनांक 18 जनवरी को रात्रि 8.30 बजे दुकान बंद करके वह चला गया था। दूसरे दिन सुबह आया तब दुकान में लगे शटर का ताला टुटा हुआ मिला अंदर जाकर देखने पर कैश बाक्स में रखा 25 हजार रुपये नगदी चोरी हो गया था। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ धारा 380,457 के तहत अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।

भीख मांग रही युवती से मारपीट

रायपुर। भीख मांग रही युवती के साथ एक्टीवा व ट्रक चालक ने बेवजह गाली-गलौचकर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट किया। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने एक्टीवा व ट्रक चालक के खिलाफ धारा 294,323,34 के तहत अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार ब्लाक 02 सुयश अस्पताल के पास बीएसयूपी कालोनी रायपुर निवासी कनिका सिंह आयु 19 वर्ष अभिभावक बबली सिंह ने 20 जनवरी को रिपोर्ट दर्ज करायी है कि प्रार्थिया हीरापुर सिग्नल रिंग रोड नंबर 02 के पास रोज की तरह भीख मांग रही थी तभी एक्टीवा क्रमांक सीजी 04 एमई 8941 व ट्रक क्रमांक सीजी 04 जेडी 3136 में सवार व्यक्ति ने बिना कारण गाली-गलौच कर हाथ-मुक्का से मारपीट किया। बीच-बचाव करने पर प्रार्थिया की सहेली अंशिका के साथ भी मारपीट कर वहां से भाग गए। जिसके चलते पीड़िता के सिर तथा बाए कंधे के पास चोट लगने से खून बहने लगा व अंशिका के मुंह व हाथ में चोट लगा है। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने दोनों वाहन चालक के खिलाफ अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।

मामुली विवाद में युवक को मारा चाकू

रायपुर। मामुली विवाद में गाली-गलौच कर मारपीट करने व युवक को चाकू मारकर घायल कर देने की रिपोर्ट तेलीबांधा थाने में दर्ज की गई है। मिली जानकारी के अनुसार गोडपारा ग्राम रीवा मंदिरहसौद रायपुर निवासी कुलेश्वर 18 वर्ष ने शिकायत दर्ज करायी है कि संस्कार केटर्सलाभाण्डी तेलीबांधा रायपुर में अपने दोस्तों के साथ केटरिंग में कल्लू ठेकेदार के अंदर में काम करता है। 18 जनवरी को संस्कार केटर्स में काम करने के दौरान गोदाम में रुके थे तथा ग्राम जोबा तुमगांव महासमुंद का लक्की साहु तथा उसका दोस्त भी संस्कार केटर्स में काम करने आये थे। लक्की साहु व उसका दोस्त हल्ला मत करो कहकर बेवजह गाली-गलौचकर जान से मारने की धमकी हाथ-मुक्का से मारपीट करने लगे। झगड़ा देखकर पीड़ित का दोस्त महेश बीच-बचाव करने आया तब दोनों ने गाली गलौचकर महेश के पसली तथा पीठ में चाकू मारकर घायल कर दिये। जिसके बाद घायल अवस्था में कल्लू ठेकेदार के साथ मेकाहारा अस्पताल में महेश को भर्ती किया गया है जहां उसका उपचार जारी है।

पुलिस को बड़ी सफलता : 2.30 लाख की चोरी करने वाले अजमेर से पकड़ाए

रायपुर। किराये के मकान से 2 लाख 30 हजार रुपये ताला तोड़कर चोरी मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को अजमेर से गिरफ्तार कर रायपुर लाई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 20 दिसंबर को राजधानी में बैजनाथपारा कोतवाली स्थित एक मकान का ताला तोड़कर अंदर थैला में रखे नगदी 2 लाख 30 हजार रुपये चोरी कर लेने के मामले में पुलिस ने जांच में लिया था। ज्ञातव्य हो कि बैजनाथपारा में कश्मीर आकर किराये के मकान में रह फेरी वालों के कमरे का ताला तोड़कर नगदी रुपये किसी ने चोरी कर लिया था। घटना की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी थी इसी दौरान चोरी वाले दिन उत्तर प्रदेश निवासी कुछ फेरी वाले किराये के मकान को देखने आये थे व आरोपियों को पहले से सूचना थी कि यहां और भी लोग रहते है और इस जगह पर रुपया रखा हुआ है। आरोपियों ने ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। यह पूरी घटना सीसी टीवी कैमरे में कैद हो गई। साईबर पुलिस ने दोनों आरोपियों को राजेस्थान के अजमेर से गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों का नाम नजीम अनवर व शमशाद अली है। जिन्हें रिमांड पर भेजा जाएंगा।

'मोर जमीन मोर मकान' से अब ललिता का परिवार लेता है चैन की नींद

रायपुर। रायपुर जिले के बिरगांव नगर पालिका निगम के वार्ड क्रमांक 38 ससोरा के द्वारिका साहू का परिवार अब प्रधानमंत्री आवास 'मोर जमीन मोर मकान' योजना के तहत बने पक्के मकान में चैन की नींद ले पाता है।द्वारिका साहू ने बताया कि योजना के तहत उनकी पत्नी श्रीमती ललिता साहू के नाम पर राशि स्वीकृत कर पक्का मकान बनाया गया। इसके अलावा उन्होंने खुद की गई बचत से इस मकान का उन्नयन कराया और इसे अपने रहने की दृष्टि से बेहतर जीवन यापन के योग्य बनाया। 45 वर्षीय द्वारिका साहू ने बताया कि वह कूली, कबाड़ी और मजदूरी का काम कर अपनी पत्नी एवं तीन बच्चों के साथ रहता हैं। योजना के पहले उनका मकान कच्चा था और बरसात के दिनों में कई बार पानी टपकने से पूरा फर्श गीला हो जाता था। कम आय होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा, जीविकोपार्जन और अन्य जरूरी आवश्यकता सहित पक्के मकान की चिंता उसे हमेशा बनी रहती थी। उसका कहना है कि कमजोर तथा निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए पक्का मकान जीवन भर का सपना होता है। खुशी की बात है कि इस सपने को सहकारी मदद से हकीकत में बदला जा रहा है। पक्के मकान का सपना पूरा होने से उनका पारिवारिक जीवन सुखमय हो गया है।

भाजपा नेताओं को लेकर कांग्रेस ने कहा- इन्हें आंदोलन का हक नहीं

कांग्रेस नेताओं ने सूची जारी कर धान बेचने वाले भाजपाइयों को घेरा

- कांग्रेस उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस

नवप्रदेश संवाददाता

रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी सहित अन्य मुद्दों को लेकर आंदोलन करने जा रहे भाजपाइयों पर कांग्रेस नेताओं ने निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा नेताओं को आंदोलन में शामिल होने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। क्योंकि आंदोलन करने वाले भाजपा नेताओं ने ही प्रदेश में धान खरीदी में धान बेचा है। कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धान बेचने वाले भाजपा नेताओं की सूची भी जारी की। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन एवं कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने संयुक्त रूप से राजीव भवन में प्रेस वार्ता लेते हुए भाजपा के प्रस्तावित आंदोलन को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं को केन्द्र सरकार के किसान कानूनों पर विश्वास नहीं है।

न किसी भी भाजपा नेता को प्राईवेट मंडी में बेचा न किसी अन्य राज्य में बेचने गये। चूंकि भाजपा का जिलास्तर का आंदोलन है। 28 जिलों के प्रमुख भाजपा नेताओं की धान बिक्री का विवरण जारी कर रहे है।

भाजपा प्रभारी पुरंदेश्वरी को भी दी चुनौती

कांग्रेस नेताओं ने भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वर को चुनौती दी कि पहले वे भाजपा शासित राज्यों में किसानों को धान का दाम और धान खरीदी की स्थिति की जानकारी सार्वजनिक करें। उन्होंने यह भी कहा कि आंदोलन करने का इतना ही शौक है तो भाजपा नेता दिल्ली जाये।

पहले धान व नॉन घोटाले का हिसाब दें

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की धान खरीदी में धान बेचने वाले भाजपा नेताओं को धान खरीदी पर आंदोलन में शामिल होने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा के लिये न किसान और न धान। भाजपा को तो पहले उनके कार्यकाल में हुए महत्वपूर्ण धान घोटाला और नॉन घोटाला का हिसाब देना चाहिए।

अपनी ही ऑटो में फंदे से लटका मिला युवक का शव

- उरला क्षेत्र के सोनडोंगरी नाला मेन रोड में ऑटो में रस्सी से झूलता मिला

नवप्रदेश संवाददाता

रायपुर। अपने ही ऑटों में फांसी पर लटका मिला ऑटों चालक की लाश को पोस्टमार्टम के लिये भेज पुलिस जांच में जुटी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार हीरापुर आरडीए कालोनी निवासी धन्जय शुक्ला स्वयं का ऑटों चलाता है। 20 जनवरी को रात 8 बजे घर से ऑटों लेकर निकला था। सुबह उरला क्षेत्र के सोनडोंगरी नाला मेन रोड में ऑटों में रस्सी पर झुलता मिला। घटना की जानकारी होते ही आस-पास के लोग बड़ी संख्या में घटना स्थल पर पहुंच गये वही परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुये चक्का जाम करने का प्रयास करने लगे जिन्हे मौके पर पहुंचे पुलिस द्वारा समझाने पर मान गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज मामले की जांच में जुटी है। वहीं मृतक के परिचितों का कहना है कि मृतक के हाईट के बराबर उसका हाईट है। वह अपने ही ऑटों में कैसे फांसी लगा सकता है।

आत्महत्या की आशंका ज्यादा

उरला थाना प्रभारी तिवारी ने बताया कि फांसी लगाकर मौत के मामले में ऐसा कहा जाता है कि पैर हवा में झूलता मिलेगा और शरीर फंदे से लटका हुआ। लेकिन हर केस में ऐसा जरूरी नहीं है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया कि युवक के गले में जो निशान है वो ऊपर की तरफ है। ऐसा तब होता है जब कोई व्यक्ति खुद फंदे पर लटकता है। किसी ने हत्या की होती तो निशान में फर्क होता। पोस्टमार्टम के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा।

प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 83 स्वस्थ, 594 नए संक्रमित

- 6 की हुई उपचार के दौरान मृत्यु

रायपुर। कोरोना वायरस कोविड 19 का संक्रमण अब प्रदेश में धीरे धीरे कम हो रहा है। एंटी वायरस वैक्सिन के आने से एक तरफ जहां प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। वहीं कोरोना संक्रमण की गति में कमी आने से लोग राहत महसूस कर रहे हैं। शासन लोक स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार बुधवार रात 8 बजे की स्थिति में प्रदेश से कुल 83 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होने की जानकारी दी गई है। नोडल अधिकारी डॉ. सुभाष पांडेय के अनुसार 594 नये कोरोना पाजीटिव मरीज मिलने की जानकारी दी गई है। अब तक प्रदेश में कुल 2 लाख 94,949 मरीज कोरोना पाजीटिव के पाये गये है जिनमें अस्पताल से अब तक 98,887 मरीज कोरोना उपचार के दौरान स्वस्थ होकर अपने घरों तक पहुंच चुके हैं। गत 24 घंटे में होम आइसोलेशन से 408मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं प्रदेश स्तर पर अब तक 1 लाख 86,679 मरीज स्वस्थ होकर अपनी दिनचर्या रोजाना की जारी रखने में सफल हुए हैं। प्रदेश में 491 मरीज गत 24 घंटे में डिस्चार्ज हुए है। अब तक प्रदेश में 2,85,566 मरीज इलाज के दौरान शासकीय अशासकीय चिकित्सा संस्थानों में पंजी में दर्ज होकर समुचित उपचार का लाभ लेकर ठीक हो गये हैं। कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 5798 है। उपचार के दौरान 6 मरीजों की मृत्यु हुई है जिनमें कोविड-2 एवं को मार्बिडिटी के 4 मरीज शामिल है।

24 घंटे में 23401 का हुआ टेस्ट

गत 24 घंटे में 23401 मरीजों का कोरोना टेस्ट किया गया है। जिलावार कोरोना मरीजों की स्थिति इस प्रकार है- दुर्ग 61, राजनांदगांव 37, बालोद 14, बेमेतरा 5, कबीरधाम 2, रायपुर 126, धमतरी 33, बलौदाबाजार 13, महासमुंद 26, गरियाबंद 7, बिलासपुर 48, रायगढ़ 47, कोरबा 27, जांजगीर चांपा 39 मुंगेली 7, पेंड्रा गौरेला मरवाही 1, सरगुजा 21 कोरिया 14, सूरजपुर 11, बलरामपुर 3, जशपुर 15, बस्तर 7, कोंडागांव 13, दंतेवाड़ा 4, सुकमा 3, कांकेर 8, बीजापुर से 2 नारायणपुर एवं अन्य राज्य से एक भी मरीज कोरोना पाजीटिव का दर्ज होने की जानकारी जारी बुलेटिन में नहीं दी गई है।

नगर निगम का राजस्व वसूली अभियान जारी

119 करदाताओं से वसूले 12.5 लाख रु. से ज्यादा

- घर-घर जाकर संपत्तिकर वसूली हेतु दिया जा रहा नोटिस

रायपुर। नगर निगम के राजस्व विभाग द्वारा निगम क्षेत्र के समस्त 70 वार्डों में प्रतिदिन सम्पत्ति कर राजस्व वसूली अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत घर-घर जाकर संपत्ति कर डिमांड नोटिस एवं पाम्पलेट वितरित किया जा रहा है। अभियान के इस कड़ी में बुधवार को राजस्व विभाग की टीमों द्वारा जोन कमिश्नर के नेतृत्व एवं जोन सहायक राजस्व अधिकारी सहित राजस्व निरीक्षकगणों, सहायक राजस्व निरीक्षकगणों की उपस्थिति में नगर निगम के हित में सभी 70 वार्डों में अभियान चलाकर निरन्तर क्रम में जोरदार वसूली की है। इसमें निगम जोन 1 की राजस्व विभाग की टीम ने बुधवार को 119 करदाताओं से 12 लाख 53 हजार 866 रूपये राजस्व वसूला है। जोन 2 की टीम ने 78 करदाताओं से 4 लाख 90 हजार 999 रूपये, जोन 3 की टीम ने 64 करदाताओं से 8 लाख 20 हजार 407 रूपये, जोन 4 की टीम ने 82 करदाताओं से 6 लाख 37 हजार 537 रूपये, जोन 5 की टीम ने 83 करदाताओं से 3 लाख 46 हजार 392 रूपये, जोन 6 की टीम ने 83 करदाताओं से 10 लाख 18 हजार 409 रूपये, जोन 7 की राजस्व विभाग की टीम ने 46 करदाताओं से 2 लाख 27 हजार 135 रूपये, जोन 8 की राजस्व विभाग की टीम ने 96 करदाताओं से 4 लाख 79 हजार 310 रूपये, जोन 9 की टीम ने 98 करदाताओं से 4 लाख 52 हजार 871 रूपये एवं जोन 10 की राजस्व विभाग की टीम ने 108 करदाताओं से 4 लाख 66 हजार 140 रूपये का राजस्व आज एक दिन के अभियान में वसूला। अभियान निरन्तरता से जारी रहेगा।

दो बाइक चोरी, अज्ञात चोर के खिलाफ केस दर्ज

रायपुर। अलग-अलग क्षेत्र से दो बाईक चोरी होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज की गई है। ब्लाक 104 सोल्सहाईट अमलीडीह राजेन्द्रनगर निवासी कुशल सोनी 35 वर्ष नें टिकरापारा थाने में 20 जनवरी को शिकायत दर्ज करायी है कि प्रार्थी लालगंगा परिसर बिजनेश पार्क पचपेड़ीनाका में 16 जनवरी को 2 बजे अपनी ज्युपीटर क्रमांक सीजी 05 एए 5670 अनुमानित कीमत 20 हजार रुपये को खड़ी करके घर चला गया था। इसी तरह 20 जनवरी को डीडीनगर थाने में शिकायत दर्ज करायी है कि 19 जनवरी को दोपहर 2 बजे सरोना शुभ होण्डा पार्किंग में प्रार्थी ने अपना होण्डा साईन मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 04 के डब्लू 5351 अनुमानित कीमत 10 हजार रुपये खड़ी करके गया था।

कोई भी समाज नहीं भूल सकता शहीदों का बलिदान : नाग

- 196 साल पहले शहीद हुए थे परलकोट के जमींदार गैंदसिंह

रायपुर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ की धरती पर पहली शहादत 196 साल पहले हुई थी । प्रथम शहीद थे बस्तर अंचल में सात पहाड़ियों से घिरे परलकोट के।ज़मींदार गैंदसिंह ,जिन्हें उनकी राजधानी सितरम में अंग्रेजों की फौज ने 20 जनवरी 1825 को उनके महल के सामने फाँसी की सजा दी थी। वह इस अंचल में भूमिया राजा के नाम से भी लोकप्रिय थे। हल्बा जनजाति के अमर शहीद गैंदसिंह की याद में अखिल भारतीय हल्बा-हल्बी समाज द्वारा हर साल छत्तीसगढ़ के अलग -अलग कस्बों और शहरों में 20 जनवरी को शहीद स्मृति दिवस का आयोजन किया जाता है। राजधानी रायपुर से लगभग 260 किलोमीटर दूर , उनकी कर्मभूमि और परलकोट क्षेत्र के प्रमुख कस्बे पखांजूर में भी कल उनकी याद में शहीद स्मृति दिवस मनाया गया ,जो सितरम से 22 किलोमीटर पर स्थित है। उनके नाम पर पखांजूर में ग्यारह साल पहले शहीद गैंदसिंह स्मारक भवन का भी निर्माण किया गया है। इस भवन के परिसर में जन -सहयोग से उनकी आदमकद प्रतिमा भी स्थापित की गयी है।

आंगनबाड़ी केंद्रों पर गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक आहार देने की कवायद, जांच भी होगी

पूरक पोषाहार की स्टॉक प्राप्ति के बाद सैंपलों की होगी जांच

- मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में पोषाहार जांच के निर्देश

नवप्रदेश संवाददाता

रायपुर। पोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलने वाले पूरक पोषाहार की गुणवत्ता का अब पूरा ध्यान रखा जायेगा। इसे लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आवश्यक निर्देश दिये गये हैं। पूरक पोषाहार संबंधित निर्देशों में कहा गया है कि अब लाभार्थी को दिये जाने वाले पूरक पोषाहार खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत दिये गये मानदंडों को पूरा करते हों जिसके तहत गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक आहार देना सुनिश्चित किया जाना है। निर्देश के मुताबिक लाभार्थी को दिये जाने वाले टेक-होम राशन को पहले भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) या राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला से जांच किया जाना अनिवार्य है। इसके लिए आंगनबाड़ी सेवा से जुड़े अधिकारियों जैसे सीडीपीओ व सुपरवाइजर को आंगनबाड़ी केंद्रों पर पूरक पोषाहार की स्टॉक की प्राप्ति के बाद सैंपलों की जांच जरूर करानी है।

गर्म पके हुए भोजन दिये जाने की स्थिति में यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि खाना उचित तरीके से तैयार किया गया हो। इसमें रसोई घर की सही तरीके से सफाई व साफ पेयजल का ध्यान रखना भी शामिल है।

राज्यों में निर्देश दिया गया है कि पूरक पोषाहार की आपूर्ति श्रृंखला की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाये तथा किसी प्रकार की आपूर्ति में बाधा न हो। पंजीकरण व भंडारण प्रक्रियाओं के तहत पोषाहार संबंधी मानकों का पालन हो रहा है, इसे भी सुनिश्चित करना है ।

पोषण की स्थिति का जायजा लेने व नियमों का पालन करवाने के लिए जिला स्तर पर डीएम नोडल अधिकारी होंगे। जिलाधिकारी अनुश्रवण व निगरानी के लिए तैयार जिला पोषण समिति के अध्यक्ष होंगे। जिला पोषण समिति द्वारा नियुक्त किये गये पोषण विशेषज्ञ प्रमाणित अधिकारी होंगे।

प्रगतिशील छग सतनामी समाज 24 को देगा धरना

नवप्रदेश संवाददाता

रायपुर। आरक्षण से संबंधित मुद्दों पर हाल ही में विभिन्न सामाजिक संगठनों, कर्मचारी-अधिकारी संगठनों से चर्चा के उपरांत प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार 16 प्रतिशत आरक्षण को घटाकर 12 प्रतिशत किए जाने पर आक्रोश व्यक्त किया गया है। उपरोक्त जानकारी प्रेसक्लब रायपुर में आयोजित पत्रकारवार्ता में प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के अध्यक्ष एलएल कोशले, मोहन बंजारे, देवराज बंजारे ने देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य बने 20 साल हो चुके हैं, इसके बाद भी शासन में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारी हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय की अवमानना कर रहा है। वार्ताकारों ने छत्तीसगढ़ में आरक्षण का लाभ कर्नाटक की रत्नप्रभा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की मांग की है। वार्ताकारों के अनुसार छत्तीसगढ़ में एसटी-एससी की जनसंख्या 55 लाख है। ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। आदिवासियों को 32 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है।

अन्याय हो रहा : समाज

जबकि संख्या बल के आधार पर हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। पदोन्नति में आरक्षण के नए नियमों को लागू नहीं करने से कर्मचारी-अधिकारियों को हानि उठानी पड़ रही है। नए पदोन्नति नियम क्वांटिफियेबल डाटा एकत्रित कर लागू करने की मांग को लेकर समाज द्वारा 24 जनवरी रविवार को बुढ़ापारा धरनास्थल में एक दिवसीय धरना दिया जाएगा साथ ही आमसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें समाज के वरिष्ठ बौद्धिक अपने विचार व्यक्त करेंगे।

संपादकीय

गणतंत्र का मान रखें किसान

नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच किसान संगठनों के साथ सरकार की बातचीत भी हो रही है लेकिन समाधान का रास्ता नहीं निकल पा रहा है। हर बैठक के बाद नई तारीख तय की जाती है लेकिन इन बैठकों का नतीजा कुछ नहीं निकल पाता। किसान संगठनों ने अब गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने की जिद पकड़ ली है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैक्टर रैली को निकालने या न निकालने का फैसला दिल्ली पुलिस पर छोड़ दिया है। दिल्ली पुलिस ने किसानों से अनुरोध किया है कि वे गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली न करें क्यों कि इससे कानून और व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ा सकती है किन्तु किसान संगठन जो न तो सरकार की सुन रहे है न सुप्रीम कोर्ट की सुन रहे है वे दिल्ली पुलिस की भी सुनने को तैयार नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत ने तो घोषणा कर दी है कि किसान 26 जनवरी को दिल्ली में हर हालत में ट्रैक्टर रैली निकाल कर रहेंगे। किसानों की मांगे चाहे जितनी भी सही हो लेकिन उन्हे गणतंत्री दिवस की गरीमा का ध्यान जरूर रखना चाहिए और गणतंत्र पर्व पर ट्रैक्टर रैली निकालने की जिद छोड़ देनी चाहिए। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस ऐसे राष्ट्रीय पर्व है जब देश की राजधानी नई दिल्ली में लाखों लोगों की भीड़ होती है, ऐसे में राष्ट्रीय पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराना दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। ऐसी स्थिति में यदि गणतंत्र पर्व के दौरान हजारों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर किसान दिल्ली की सड़कों पर उतर आएंगे तो दिल्ली पुलिस के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। यदि इस दौरान कोई घटना घट जाती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, जाहिर है इसके लिए दिल्ली पुलिस को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। आंदोलनरत् किसान संगठन अब तक अपनी मांगों को लेकर शांतिपूण ढंग से प्रदर्शन करते आए है यही वजह है कि उन्हे आम जनता की भी सहानुभूति और समर्थन मिल रहा है ऐसे में उन किसान संगठनों को चाहिए कि वे गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व के दौरान ऐसा कोई प्रदर्शन न करें जिससे अप्रीय स्थिति उत्पन्न होने का खतरा हो। 26 जनवरी के बाद भी किसी दिन सरकार और दिल्ली पुलिस की अनुमति लेकर वे ट्रैक्टर रैली निकाल सकते है।

विचार

अद्भुत, अविश्वसनीय

क्रिकेट यूं तो है ही अनिश्चितताओं का खेल, लेकिन टीम इंडिया ने मंगलवार को गाबा में जो कमाल दिखाया है, वह अनिश्चितता की सीमाओं को पार करके चमत्कार की श्रेणी में पहुंच गया है। 2-1 से मिली इस सीरीज विजय को जो चीज महत्वपूर्ण बनाती है, वह है टीम इंडिया की जबर्दस्त उतार-चढ़ावों से भरी यात्रा। इसी सीरीज की शुरुआत में उसको मात्र 36 रन पर ऑल आउट होने का झटका लगा था, जो खुद में एक रेकॉर्ड है। इसके बाद तो टीम इंडिया के डाई हार्ड फैंस ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। इस टेस्ट के बाद विराट कोहली जैसा बल्लेबाज और कप्तान भी पैटर्निटी लीव पर घर चला आया। टीम ने अगले ही मैच में शानदार वापसी की, लेकिन शारीरिक रूप से काफी नुकसान उठाने के बाद। चोटों ने अंत-अंत तक टीम का पीछा नहीं छोड़ा। घायल खिलाड़ियों की कतार तेज गेंदबाज कुलदीप सैनी के चोटिल होने के साथ अंतिम मैच में भी बढ़ती गई। इतनी चुनौतियों के साथ ब्रिस्बेन में चौथे टेस्ट मुकाबले के लिए टीम जमा हुई तो जीत या ड्रॉ से अलग पूरे मैच में 11 खिलाड़ी खड़े कर पाना भी कमाल समझा जा रहा था। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने चुटकी ली- 'बंदे पूरे न हो रहे हों तो मैं चला आऊं।' पंत के अविजित 89 और शुभमन गिल के 91 रनों का अहम योगदान तो इस जीत में है ही, लेकिन इसकी धुरी निश्चित रूप से चेतेश्वर पुजारा बने, जिन्होंने टूटती पिच पर एक छोर पकड़कर 211 गेंदें खेलीं, जिनमें कई उनके शरीर पर लगीं। जिस गाबा के मैदान पर 1988 के बाद से दुनिया की कोई टीम ऑस्ट्रेलिया को न हरा पाई हो, वहां चौथी पारी में 328 रन का टारगेट टीम इंडिया के सामने देख टेस्ट मैचों के पुराने शहंशाह सुनील गावस्कर ने चुनिंदा शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दी- 'ऑस्ट्रेलिया जीतेगा या मैच ड्रॉ होगा।' लेकिन आखिरी दिन चाय के बाद का खेल शुरू हुआ तो लगा कि अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में टीम यह मैच जीतने का मन बना रही है। इसका अंदाजा यों तो रहाणे की रफ्तार से ही मिलने लगा था लेकिन खुद आउट होने के बाद बैटिंग का क्रम बदलकर उन्होंने ऋषभ पंत को मैदान में उतारा तो फिर शक की गुंजाइश ही नहीं रही। पंत के अविजित 89 और शुभमन गिल के 91 रनों का अहम योगदान तो इस जीत में है ही, लेकिन इसकी धुरी निश्चित रूप से चेतेश्वर पुजारा बने, जिन्होंने टूटती पिच पर एक छोर पकड़कर 211 गेंदें खेलीं, जिनमें कई उनके शरीर पर लगीं। बतौर ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर और शार्दूल ठाकुर का उदय इस मैच की उपलब्धि है, पर इसकी सबसे बड़ी बात मोहम्मद सिराज के रूप में देश को तेज गेंदबाजी का एक नया सितारा हासिल होना है। नौ स्टार क्रिकेटरों की गैरमौजूदगी में देश की यूथ ब्रिगेड ने इस सीरीज में जो चमक बिखेरी है, उससे भारतीय टीम का उज्ज्वल भविष्य निखर आया है। इसके अलावा इस मैच का एक ऐतिहासिक योगदान यह माना जाएगा कि इसने टेस्ट क्रिकेट को संजीवनी दी है। दर्शकों की नई पीढ़ी ने शायद पहली बार जाना हो कि ऐसा रोमांच और नाटकीयता अन्य किसी भी खेल के लिए दूर की कौड़ी है।

अभिव्यक्ति

शक्ति के साथ शांति का संदेश देता भारत

डॉ नीलम महेंद्र

> आज हमारे देश की अनेक सरकारी कंपनियां विश्व स्तर के हथियार बना रही हैं और भारत विश्व के 42 देशों को रक्षा सामग्री निर्यात कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेक इन इंडिया से आगे बढ़ते हुए मेक फॉर वर्ल्ड की नीति पर आगे चलते हुए केंद्र सरकार ने 2024 तक 35000 करोड़ रुपए का सालाना रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। सरकारी आंकड़ों से इतर अगर जमीनी हकीकत की बात करें, तो 2016-17 में भारत का रक्षा निर्यात 1521 करोड़ था जो साल 2018-19 में 10745 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी करीब 700 प्रतिशत की बढ़ोतरी। दरसअल आज़ादी के बाद से ही भारत अपनी सीमाओं की रक्षा हेतु उपयोग में आने वाली आवश्यक सैन्य सामग्री के लिए रूस अमेरिका इस्राएल फ्रांस जैसे देशों पर निर्भर था। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के चलते पिछले कुछ वर्षों में भारत रक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक खर्च करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया था। एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में अमेरिका और चीन के बाद भारत रक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक खर्च कर रहा था।

अहिंसा के मंत्र से दुनिया को अवगत कराने वाला भारत आज एक बार फिर विश्व के मानचित्र पर मजबूती के साथ उभर रहा है। बिना हथियार उठाए आज़ादी हासिल करने वाला गाँधी का यह देश आज आत्मनिर्भर भारत के मंत्र के सहारे हथियारों का निर्यातक बनने की ओर अग्रसर है। वो भारत जो कल तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश था वो आज मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व, एशिया और लैटिन अमेरिकी देशों को आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल ,तटीय निगरानी प्रणाली, रडार और एयर प्लेटफार्म जैसे सुरक्षा उपकरण और हथियार निर्यात करने की दिशा में बढ़ गया है।

सरकारी आंकड़ों से इतर अगर जमीनी हकीकत की बात करें, तो 2016-17 में भारत का रक्षा निर्यात 1521 करोड़ था जो साल 2018-19 में 10745 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी करीब 700 प्रतिशत की बढ़ोतरी। दरसअल आज़ादी के बाद से ही भारत अपनी सीमाओं की रक्षा हेतु उपयोग में आने वाली आवश्यक सैन्य सामग्री के लिए रूस अमेरिका इस्राएल फ्रांस जैसे देशों पर निर्भर था। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के चलते पिछले कुछ वर्षों में भारत रक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक खर्च करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया था। एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में अमेरिका और चीन के बाद भारत रक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक खर्च कर रहा था। देखा जाए तो चीन के साथ हुए हालिया सीमा विवाद और पाकिस्तान की ओर से लगातार आतंकवादी घुसपैठ की कोशिशों के चलते यह जरूरी भी था। लेकिन आज के भारत की खास बात यह है कि सेना की इन जरूरतों को अब देश में ही पूरा किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने बीते कुछ समय मे ठोस निर्णय लिए जिनके सकारात्मक परिणाम अब सामने भी आने लगे हैं। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था तीनों सेनाओं के प्रमुख चीफऑफडिफेन्स स्टाफके पद का सृजन करना। हालांकि इस पद के निर्माण की सिफारिश 2001 में ही की गई थी लेकिन यह 2019 में आस्तित्व में आ पाया। इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि तीनों सेनाओं में एक समन्वय स्थापित हुआ जिससे तीनों सेनाओं की आवश्यकताओं को स्ट्रीमलाइन करके उसके अनुसार रूपरेखा

बनाने का रास्ता प्रशस्त हो गया। दूसरा प्रभावशाली कदम था रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की लिमिट 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 करना। लेकिन तीसरा सबसे बड़ा कदम जो सरकार ने उठाया वो था सेना के कुछ सामान (101 आइटम की लिस्ट) के आयात पर 2020-24 तक प्रतिबंध लगाना। परिणामस्वरूप इन वस्तुओं की आपुर्ति भारत में निर्मित वस्तुओं से ही की जा सकती थी।

यह भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक प्रकार से अवसर था अपनी निर्माण क्षमताओं को विकसित करने का। यह देश के लिए गर्व का विषय है कि इस इंडस्ट्री ने मौके का भरपूर सदुपयोग करते हुए अनेक विश्व स्तरीय स्वदेशी रक्षा एवं सैन्य उपकरणों का सफलतापूर्वक निर्माण करके आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के प्रति ठोस कदम बढ़ाया है। इन उपकरणों के नाम और काम दोनों भारत के गौरवशाली अतीत का स्मरण कराते हैं। स्वदेशी ÷भारत ड्रोन÷ ,जो पूर्वी लद्दाख के पास एलएसी की निगरानी के लिए रखा जा रहा है उसे राडार की पकड़ में लाना असंभव है। डीआरडीओ के चंडीगढ़ स्थित प्रयोगशाला में विकसित यह ड्रोन दुनिया का सबसे चालक, मुस्तैद, फुर्तीला और हल्का सर्विलांस ड्रोन है। चूंकि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, यह दोस्तों और दुश्मनों में अंतर करके उसके अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। इसी प्रकार स्वदेशी एन्टी सबमरीन युद्धपोत आई इन एस कवरत्ती को भी नौसेना में शामिल किया गया है। यह भी राडार के पकड़ में नहीं आता। इसी प्रकार अर्जुन टैंक, पिनाक रॉकेट लांच सिस्टम,आकाश, नाग मिसाइल,तेजस विमान, ध्रुव हेलिकॉप्टर, अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल, अस्त्र मिसाइल, अस्मि पिस्टल हमारे देश में तैयार किए गए कुछ ऐसे शस्त्र हैं जिन्होंने हमें रूस अमेरिका फ्रांस जैसे देशों के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया है। इस सफलता से उत्साहित भारत की भविष्य योजनाएं रक्षा क्षेत्र में विश्व में मजबूत मौजूदगी दर्ज करने की है।

इसी कड़ी में देश में अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर से लेकर राइफल्स बनाने की तैयारी की जा रही है।लेकिन इन हथियारों के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है,हमारे सैनिकों की सुरक्षा। इसके लिए बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर ऐसे जूते जो सैनिकों के पैरों को घायल होने से बचाए इनका उत्पादन भी देश में हो रहा है। इतना ही नहीं डी आर डी ओ ने पूर्वी लद्दाख और सियाचीन की जमा देने वाली सर्दी जैसे दुर्गम इलाकों में तैनात हमारे जवानों के लिए स्पेस हीटिंग डिवाइस तैयार किया है जो माइनस 40 डिग्री के तापमान में भी उनके बंकर को गर्म रखेगा। दरअसल इस प्रकार के कदम ना सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को गति देते हैं बल्कि सेना और देश दोनों के मनोबल को भी ऊँचा करते हैं। इस प्रकार के कदम तब और भी जरूरी हो जाते हैं जब ग्लोबल फायर पॉवर इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट में यह बात सामने आती है कि कोरोना काल में पाकिस्तान जैसा देश जो रक्षा क्षेत्र में खर्च करने के मामले में बीते साल15 वें पायदान पर था आज चीन की मदद से 10 वें पायदान पर आ गया है।

इतना ही नहीं वो चीन के साथ राफेल को मार गिराने का सांझा युद्ध अभ्यास भी करता है। समझा जा सकता है कि इन परिस्थितियों में भारत का सैन्य रूप से सक्षम होना कितना आवश्यक है। क्योंकि संसार का विरोधाभासी नियम यह है कि शक्ति सम्पन्न व्यक्ति ही शांति कायम करा पाता है दुर्बल तो हिंसा का शिकार हो जाता है। इसे हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे कहा गया है ÷क्षमा वीरस्य भूषनम÷। और आज का सच यह है कि विश्व का हर देश आधुनिक हथियारों के साथ विश्व शान्ति की बात करता है। यही कारण है कि कल तक जो भारत अहिंसा परमो धर्मः के पथ पर चलता था ÷आज अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव चः।÷ को अंगीकार कर रहा है।

बदलाव के लिए बजट और उसके बाद के प्रयास का हिस्सा है सुधार

प्रकाश चावला

> भारतीय कंपनियों के राजस्व और उनके लाभ की संभावनाओं के मद्देनजर निवेशक उनके ऊंचे मूल्यांकन को लेकर खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। भारत के उद्योग जगत की सफलता स्टॉक मार्किट के आंकड़ों से जाहिर होती है। यदि आप उन लोगों में से हैं जो पूंजी बाजार को सट्टा मानते हैं तो आपके लिए एक और आंकड़ा है, जो बताता है कि कैसे वैश्विक निवेशक भारत के साथ आगे चलना चाहते हैं। वित्त वर्ष 2020-21 के शुरुआती छह महीनों में ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में लगभग 30 अरब डॉलर का एफडीआई आया।

'सुधार' कोई एक बार होने वाली घटना नहीं है, बल्कि यह शासन की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से हमेशा जारी रहती है। 'सुधार, प्रदर्शन, परिवर्तन' के क्रम में अंतिम शब्द- 'परिवर्तन' सबसे अहम है, क्योंकि इससे स्पष्ट रूप से लक्ष्य का निर्धारण होता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने कार्यकाल के पहले दिन से ही अपना सरकार के लिए यह कार्य तय कर दिया था। 'परिवर्तन' का लक्ष्य तय था और है- वहीं सुधार और प्रदर्शन इस दिशा में बढ़ने के माध्यम हैं। आम बजट विशेष लक्ष्यों के निर्धारण और उन्हें हासिल करने के सबसे महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। इन विशेष लक्ष्यों में से उन्हें सबसे पहले पूरा किया जाना चाहिए जो जनता के समग्र लाभ से जुड़े हैं। सरकार का वार्षिक बजट 30 लाख करोड़ रुपये का है और व्यय के मद सावधानी से चुने जाने चाहिए, क्योंकि चयन से ही उसकी नीति की दिशा का पता चलता है।

2014-15 के अपने बजट भाषण में, तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली ने कहा था : ÷इस एनडीए सरकार के पहले बजट में, जिसे मैं गरिमापूर्ण सदन में पेश कर रहा हूं, मेरा उद्देश्य उस दिशा के लिए समग्र नीतिगत संकेतक तैयार करना है जहां हम देश को ले जाना चाहतेहैं। हमारे इर्दगिर्द फैले शोरशराबे में, हम 10 जुलाई, 2014 को जेटली द्वारा प्रस्तुत उनके पहले बजट में और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी, 2021 को पेश किए जाने वाले बजट के बीच मोदी सरकार द्वारा किए गए प्रमुख सुधारों से मिले संदेश को भूल गए होंगे। बीते साढ़े छह साल के दौरान कई परिवर्तनकारी और जीवन को बदलने वाले सुधार हुए हैं, लेकिन इस दिशा में प्रगति जारी है और आगे भी जारी रहनी चाहिए। कुल मिलाकर,135 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को निरंतर 'सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन' के बिना हासिल नहीं किया जा सकता है। अपने पहले बजट में जब रक्षा विनिर्माण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने के समान ही बीमा क्षेत्र में ऐलान करके, एनडीए सरकार ने सिर्फ सुधारों को ही गति दी है। रक्षा क्षेत्र में एफडीआई को स्वचालित रूट से 74 प्रतिशत तक और आधुनिक तकनीक तक पहुंच उपलब्ध कराने पर उससे भी ज्यादा सीमा तक के लिए खोल दिया गया है।

चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार विनिवेश की दिशा में आगे बढ़ नहीं पा रही है और कोविड 19 महामारी के चलते भी इसमें देरी हुई है, ऐसे में बीपीसीएल, कॉनकोर और एससीआई जैसे ब्लूचिप पीएसयू की एकमुश्त रणनीतिक बिक्री का फैसला लिया गया है। ऐसी रणनीतिक बिक्री सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान मारुति उद्योग और बाल्को जैसी कंपनियों की हुई थी। मोदी सरकार द्वारा गैर प्रमुख संपदाओं के मौद्रीकरण के लिए दूरगामी सुधारों को स्वीकृति देने का फैसला किया गया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि पीएसयू बैंक,जिनका 12 में विलय कर दिया गया है, भी गैर प्रमुख क्षेत्रों में आते हैं। वास्तव में, ऐसे दौर में जब वित्तीय स्थिति दबाव में है, कोविड वैक्सीन टीकाकरण को लागू करने और 29.87 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज सहित स्वास्थ्य के लिए जरूरी प्रतिबद्धताओं को देखते हुए बड़े मेट्रो शहरों में रियल एस्टेट परियोजनाओं के साथ ही गैर मुख्य सरकारी संपदाओं की त्वरित बिक्री जरूरी हो गई है। आधिकारिक अनुमानों के मुताबिक, तीन किस्तों में घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज जीडीपी के 15 प्रतिशत के बराबर है और इसमें रोजगार समर्थन, एमएसएमई को आसान वित्तपोषण, खाद्य राहत और संकटग्रस्त क्षेत्रों को सहायता शामिल है। तेज आर्थिक सुधार के रूप में इसका असर दिखना शुरू हो गया है; लेकिन इसके लिए व्यापक वित्तीय प्रतिबद्धताएं की गई थीं और संसाधनों को नए और साहसी कदमों के माध्यम से जुटाया जाना चाहिए।

बाजार की परिस्थितियां काफी अनुकूल हैं; द्वितीयक बाजार में पीएसयू शेयरों के प्रति पूर्वाग्रह के विपरीत उनके आकर्षक मूल्यांकन पर आशावाद के लिए मार्ग प्रशस्त हो रहा है। अब आगे बढ़ने का समय है। 3 लाख करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य तय करना और प्रचुर नकदी से पूंजी जुटाना संभव हो सकता है। हमारे वित्तीय बाजारों में विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़ रहा है, क्योंकि विकासशील बाजारों (ईएम) की सूची में भारत के आंकड़े खासे मजबूत हैं। वित्त वर्ष 22 में वी- आकार के सुधार की संभावनाओं से उत्साहित सेंसेक्स 50,000 के मनोवैज्ञानिक आंकड़े को छूने की ओर अग्रसर है। ईएम में सबसे ज्यादा पूंजी आकर्षित करने में सक्षम होने के कारण, भारत को कैलेंडर वर्ष 2020 में 23 अरब डॉलर का निवेश हासिल हो चुका है और यह क्रम नए साल में भी जारी है।

पाठकों की बात | पत्र, प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया

एक सच यह भी

एक सच यह भी है। धीरे धीरे अब रिश्ते बदलने लगे हैं..अपना कहना वालों के दिलों में अब तेरे मेरे के भाव भरने लगे हैं जुबान पे मिठास और दिलो में कड़वाहट रखते हैं... रिश्तों को अपने पन के भाव से नहीं पैसे से परखते हैं खून के रिश्तों की गरीबी अमीरी की तराजू में तोलते हैं पैसो से कमजोर के लिए बेगानापन और पैसों वालो के लिए बातो में शहद घोलते है। - श्रीकांत गुप्ता

जो लोग कहते हैं

जो लोग कहते हैं कि, ÷और विकल्प ही क्या हैं÷ उनके मुंह पर भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत एक तमाचे की तरह हैं कोहली, बुमराह, अश्विन, इशांत समेत तमाम बड़े नामों की ग़ैरहाज़िरी में टीम ने ये जीत हासिल की.. विकल्प आज़माने पड़ते है.. सिर्फ और विकल्प ही क्या हैं का रोना रोने से नहीं होता।

- उचित शर्मा

ख़ास पाती | दिलों के बीच बढ़ती दूरियां

दिलों के बीच बढ़ती दूरियां अच्छी नहीं लगती। नये इस दौर की ये ख़ामियाँ अच्छी नहीं लगती। हमें मालूम है ज़ीने की ख़ातिर है ज़रूरी पर। हमें फेकी हुई ये रोटियां अच्छी नहीं लगती। मेरी माँ ने संदेशे में यही लिक्खा था कि बेटा। तुम्हारी राह तकती खिड़कियां अच्छी नहीं लगती। मैं अक्सर सोचता हूँ देख कर रोती हुई बच्ची । न जाने क्युं किसी को तितलियां अच्छी नहीं लगती। इसी बस्ती के कारीगर बनाते हैं महल लेकिन। महल वालों को झुग्गी बस्तियां अच्छी नहीं लगती। जहां इन्सान जलता है अना की आग से खुद के। वहां माचिस की जलती तीलियां अच्छी नहीं लगती। नहीं मिलती है जिनको गर्मियां वादों की गर्मी से। उन्हें अच्छे दिनों की सर्दियां अच्छी नहीं लगती। - राजीव कुमार

दरिया न कोई झील, न मैं सागरों

दरिया न कोई झील, न मैं सागरों में हूँ। उन्मुक्त सी उड़ान लिए बादलों में हूँ। मंदिर न जानती, न ही मस्जिद को मानती।इंसानियत को मानती हूँ, काफ़िरों में हूँ। अरमान घोट डाले सभी तेरे वास्ते। शामिल तभी तो आज हुई क़ातिलों में हूँ। कानून की हदों का भी मुझको पता नहीं। अपने उसूल में हूँ मगर क़ायदों में हूँ। इक़रार हो लबों पे, के इंकार ही करो।लेकिन तुम्हारे दिल की इन्हीं धड़कनों में हूँ। आँखों में अपनी ख़्वाब के परवाज़ भर के मैं। विश्वास की उड़ान लिए हौसलों में हूँ। बरसों भले मिले नहीं शिकवे रहे बहुत प्रतिभा यक़ीन है, मैं तेरी चाहतों में हूँ। - डॉ प्रतिभा गर्ग

भावों की गरिमा से पूरित शब्द

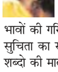

भावों की गरिमा से पूरित शब्द शब्द में प्यार है। मन के अन्तस में व्याप्त सुचिता का संसार हैं।। ह्रदय वो जिसमे प्यार नही उसको हम क्या कहे शब्दो की माला में दीपित जीवन का ही सार हैं। - आकांक्षा द्विवेदी

फिर आया फिर आया बसंत

फिर आया फिर आया बसंत पीताम्बरा किरण पीत पुष्प पर पड़े खिल उठी है धरा पुकार उठा गगन आया बसंत आया बसंत वादियों में फिर खिले फूल खेतो में पीला छाया बसंत अमवा की डल पर झूले पड़ गये सखियों ने फिर गाया बसंत अँखियाँ टिक गई दूर राहपर पिया गये परदेस सखि पिया बिन मोहे ना भाया बसंत आया बसंत आया बसंत।

- शिखा लाहिरी

कहाँ तक मैं कहूं यारा,रूप

कहाँ तक मैं कहूँ यारा,रूप कलियुग का निखरा है। पिता को दे रहा गाली ,उसी का आज धिकरा है। नहीं अपना यहाँ कोई , सभी संबंध मतलब के- जहाँ तक जा रही नजरें,हर इक परिवार बिखरा है।

- अमित शिवकुमार दुबे

उस व्यवस्था से तुम हो जाओ मुक्त

उस व्यवस्था से तुम हो जाओ मुक्त जो तुम्हारे ह्रदय के गर्भ गृह में हो जाता है प्रेम से दाखिल और तुम बसा लेती हो एकनिष्ठ एक ईश्वर की प्रतिमा जिस दिन तुम हठ करती हो एक कतरा उजाले की वो छीन लेता है तुम्हारी आँखों की पुतलियां।

- सरिता शैल

हवाओं के संग- संग चलना है

हवाओं के संग- संग चलना है मुझे हो बंदिशें लाख, न बहलना है मुझे ख्वाहिशें थोड़ी हैं,रफ्तार ज़रा तेज़ है गिरकर फिर खुद ही,संभलना है मुझे !

- लक्ष्मी गौर थपलियाल

QUIZ TIME

1) हाल ही में किस मशरुम उत्पादन हेतु राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है?
2) जहरीली गैस रिसाव की घटना वाला शक्ति पेपर मिल किस जिले में है?
3) किस जिले में लॉकडाउन के दौरान बच्चों को लाउडस्पीकर के माध्यम से पढ़ाया गया है?
4) किस अभयारण्य में हाल ही में ब्लैक पेंथर देखा गया है?
5) हाल ही में किसे सांसद महारत्न अवार्ड से नवाजित किया गया है?

Ramaquiz

उत्तरमाला- (1) सौरभ जघेल (2) रायगढ़ (3) बस्तर (4) अचानकमार (5) छाया वर्मा

आज का इतिहास

नई दिल्ली (वार्ता)। 1666 : मुगल बादशाह शाहजहां का निधन हुआ। 1673 : न्यूयॉर्क एवं बोस्टन के बीच डाक सेवा की शुरुआत हुई। 1760 : वांदीवाश के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसिसियों को हराया। 1775 : फ़्रांस के भौतिकशास्त्री एवं गणितज्ञ आन्द्रे मेरी ऐम्पेयर का जन्म। 1808 : फ्रांसीसी सेना से भागकर ब्रागांसा पुर्तगाली शाही परिवार ब्राजील आया। 1811 : कास विद्रोह की शुरुआत सैन एंटोनियो, स्पेनिश टेक्सास में हुई। 1824 : अशंती ने गोल्ड कोस्ट में ब्रिटिश सेना को कुचलने के लिए, ब्रिटिश गवर्नर सर चार्ल्स मैककैथी की हत्या कर दी थी। 1831 : प्रख्यात जीवविज्ञानी चार्ल्स डार्विन स्नातक बने। 1850 : अल्टा कैलिफ़ोर्निया एक दैनिक पेपर पहली बार कैलीफ़ में प्रकाशित किया गया। 1880 : तुवांग राज्य स्कूल क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया गया। 1901 : ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ। 1906 : एसएस वेलेंसिया वैंकूवर द्वीप ने कनाडा के एक चट्टान पर हमला किया, जिसमें 136 लोगों मौत हो गयी। 1918 : यूक्रेनी पीपुल्स रिपब्लिक बोल्शेविक ने रूस में स्वतंत्रता घोषणा की। 1924 : रैमसे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन में लेबर पार्टी के पहले प्रधानमंत्री बने। 1927 : हेरोल्ड लॉयड अभिनीत कॉमेडी फिल्म द किड ब्रदर परदे पर प्रकाशित की गयी। 1963 : देहरादून में दृष्टिहीनों के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना हुई। 1963 : फ्रांस और पश्चिमी जर्मनी ने एलीसी संधि पर हस्ताक्षर किया। 1972 : इस्तानबुल की पूरी आबादी को 24 घंटे की अवधि के लिए नजरबंद किया गया।

ओडिशा के अंतिम ब्लॉक की तुलना में विकास में पिछड़ तो नहीं रहा हमारा देवभोग ब्लॉक

नवप्रदेश संवाददाता

देवभोग। छत्तीसगढ़ का अंतिम ब्लॉक देवभोग की तुलना कथित तौर पर कहे जाने वाला पिछड़ा हुआ राज्य उड़ीसा का अंतिम ब्लॉक धर्मगढ़ इन दिनों विकास की ऊंची उड़ान भर रहा है।टु लेन की सड़क को अब फोरलेन करने के साथ बीजू एक्सप्रेस से बॉर्डर के सभी मार्ग को जोड़ा जा रहा है। साथ ही हर घर पर फिल्टर पानी देने के अलावा स्वास्थ्य सिंचाई और खेल में युवा अपना भविष्य बना सके इसके लिए बेहतर स्टेडियम की भी व्यवस्था है ।जिसे इस ब्लॉक का आदमी देख कर अपने आप से एक सवाल जरूर करता है। कि कब देवभोग ब्लॉक की सड़क टूलेन से फोरलेन होगी कब स्वास्थ्य सुविधा बेहतर होगा और कब तक गंदे पानी पीकर जिंदगी गुजारना पड़ेगा और ग्रामीणों की सवालों से सांसद विधायक मंत्री सहित पूरा प्रशासनिक तंत्र अवगत है। लेकिन एक दूसरे की खींचतान राजनीति में यह ब्लॉक को विकास से कोसों दूर रख दिया है। और उड़ीसा की डेवलपमेंट और सुविधा देख बाहर से आए अधिकारी या फिर राजनेता उड़ीसा में ज्यादातर रुकना पसंद करते हैं। लेकिन यहां के हजारों लोगों को वही बदहाल जिंदगी जीना पड़ रहा है। इस बीच सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली खिलाड़ी अपने आप को कोसते दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि आर्थिक तंगी के चलते बाहर जाकर खेल से अपना भविष्य नहीं बना सकते और ब्लॉक स्तर पर कुछ नहीं होना मान कर अंतिम समय दिनचर्या की जिंदगी जीने को मजबूर हो जाते हैं। जिसके लिए काफी हद तक क्षेत्रीय विधायक सांसद सहित कैबिनेट मंत्री को जिम्मेदार मानते हैं। क्योंकि पूरी वस्तु स्थिति से अवगत होने के बाद भी विकास के लिए सार्थक प्रयास नहीं हो रहा है । मतलब देखा जाए तो आजादी के बाद से जिस तरह अन्य ब्लॉक विकास की उड़ान भरा है। उसका आधा भी क्षेत्र मे विकास नहीं हो पाया जबकि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में यह ब्लॉक मुख्य भूमिका अदा करता है बावजूद इसके अब तक विकास से कोसों दूर है।

> केंद्र सरकार गांव गांव में फिल्टर पानी देने के लिए राशि आवंटित कर रही है लेकिन राज्य सरकार रेशियो अनुसार 40त्न की राशि नहीं दे पा रही है उड़ीसा की सरकार और केंद्र की सरकार मैं काफी अच्छी तालमेल है इसलिए वहां सड़क बिजली सिंचाई स्वास्थ की व्यवस्था अच्छी तरह से है लेकिन भूपेश बघेल 17000 करोड़ का कर्ज लेने के बाद भी विकास नहीं कर पा रही है
>
> **डमरुधर पुजारी,** विधायक बिंद्रानवागढ़

> 15 साल तक जिन्होंने शासन क्या वह देवभोग के विकास के लिए किसी प्रकार कुछ नहीं किया जबकि उस पार्टी को 15 साल तक उस क्षेत्र के लोग प्रतिनिधि लगातार दे रहे हैं और भूपेश बघेल देवभोग के विकास के लिए प्रयासरत हैं
>
> **भावसिंह साहू ,** जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी गरियाबंद

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 2021011124000 / अ/2 वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि आवेदक सुरूचि साहू पति मोहनलाल साहू द्वारा ग्राम गुजरा प.ह.नं. 25 रा.नि.मं. चंदखुरी में स्थित भूमि खसरा नं. 209/5 रकबा 0.02 हे. याने 2020 वर्गफीट भूमि का व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वाद भूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा वादभूमि का रकबा 0.02 हे. याने 2020 वर्गफुट भूमि का पुर्ननिर्धारण व्यपवर्तन आवासीय प्रयोजन में करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में किसी को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि दिनांक 09/02/2021 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावा आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 18/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुहर से जारी किया गया है।

सील | सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 2021011124000 / अ/2 वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि आवेदक लोकेश प्रधान पिता मधुमंगल प्रधान द्वारा ग्राम गुजरा प.ह.नं. 25 रा.नि.मं. चंदखुरी में स्थित भूमि खसरा नं. 677/1 रकबा 0.19 हे. का भाग रकबा 0.12 हे. भूमि का व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वाद भूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा वादभूमि का रकबा 0.12 हे. भूमि का पुर्ननिर्धारण व्यपवर्तन आवासीय प्रयोजन में करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में किसी को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि दिनांक 09/02/2021 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावा आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 18/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुहर से जारी किया गया है।

सील | सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 2021011124000 / अ/2 वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि आवेदक नवीन किशोर प्रधान पिता परशुराम प्रधान द्वारा ग्राम गुजरा प.ह.नं. 25 रा.नि.मं. चंदखुरी में स्थित भूमि खसरा नं. 207/5 रकबा 0.01 हे. याने 1185 वर्गफीट भूमि का व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वाद भूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा वादभूमि का रकबा 0.01 हे. याने 1185 वर्गफुट भूमि का पुर्ननिर्धारण व्यपवर्तन आवासीय प्रयोजन में करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में किसी को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि दिनांक 09/02/2021 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावा आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 18/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुहर से जारी किया गया है।

सील | सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 2021011124000 / अ/2 वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि आवेदक योगिता पति नितिन कुमार द्वारा ग्राम गुजरा प.ह.नं. 25 रा.नि.मं. चंदखुरी में स्थित भूमि खसरा नं. 207/6 रकबा 0.02 हे. याने 1194 वर्गफीट भूमि का व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वाद भूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा वादभूमि का रकबा 0.02 हे. याने 1194 वर्गफुट भूमि का पुर्ननिर्धारण व्यपवर्तन आवासीय प्रयोजन में करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में किसी को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि दिनांक 09/02/2021 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावा आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 18/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुहर से जारी किया गया है।

सील | सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 2021011124000 / अ/2 वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि आवेदक हेमकुमार गुप्ता पिता चमरा गुप्ता द्वारा ग्राम गुजरा प.ह.नं. 25 रा.नि.मं. चंदखुरी में स्थित भूमि खसरा नं. 652/3 रकबा 0.02 हे. याने 1650 वर्गफीट भूमि का व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वाद भूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा वादभूमि का रकबा 0.02 हे. याने 1650 वर्गफुट भूमि का पुर्ननिर्धारण व्यपवर्तन आवासीय प्रयोजन में करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में किसी को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि दिनांक 09/02/2021 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावा आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 18/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुहर से जारी किया गया है।

सील | सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 2021011124000 / अ/2 वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री सुजीत कुमार पिता जयदेव प्रधान द्वारा ग्राम गुजरा प.ह.नं. 25 रा.नि.मं. चंदखुरी में स्थित भूमि खसरा नं. 207/4 रकबा 0.01 हे. याने 1092 वर्गफीट भूमि का व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वाद भूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा वादभूमि का रकबा 0.01 हे. याने 1092 वर्गफुट भूमि का पुर्ननिर्धारण व्यपवर्तन आवासीय प्रयोजन में करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में किसी को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि दिनांक 09/02/2021 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावा आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 18/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुहर से जारी किया गया है।

सील | सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 2021011124000 / अ/2 वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि आवेदक कमलेश कुमार पिता बंशीलाल द्वारा ग्राम गुजरा प.ह.नं. 25 रा.नि.मं. चंदखुरी में स्थित भूमि खसरा नं. 809/4 रकबा 0.020 हे. याने 2200 वर्गफीट भूमि का व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वाद भूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा वादभूमि का रकबा 0.020 हे. याने 2200 वर्गफुट भूमि का पुर्ननिर्धारण व्यपवर्तन आवासीय प्रयोजन में करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में किसी को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि दिनांक 09/02/2021 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावा आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 18/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुहर से जारी किया गया है।

सील | सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 2021011124000 / अ/2 वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि आवेदक गजाधर बारीक पिता मोकलो बारीक द्वारा ग्राम गुजरा प.ह.नं. 25 रा.नि.मं. चंदखुरी में स्थित भूमि खसरा नं. 207/2 रकबा 0.010 हे. याने 1174 वर्गफीट भूमि का व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वाद भूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा वादभूमि का रकबा 0.010 हे. याने 1174 वर्गफुट भूमि का पुर्ननिर्धारण व्यपवर्तन आवासीय प्रयोजन में करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में किसी को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि दिनांक 09/02/2021 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावा आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 18/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुहर से जारी किया गया है।

सील | सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 2021011124000 / अ/2 वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती अहिल्या भोई पति अशोक भोई द्वारा ग्राम गुजरा प.ह.नं. 25 रा.नि.मं. चंदखुरी में स्थित भूमि खसरा नं. 209/3 रकबा 0.02 हे. याने 1377 वर्गफीट भूमि का व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वाद भूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा वादभूमि का रकबा 0.02 हे. याने 1377 वर्गफुट भूमि का पुर्ननिर्धारण व्यपवर्तन आवासीय प्रयोजन में करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में किसी को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि दिनांक 09/02/2021 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावा आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 18/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुहर से जारी किया गया है।

सील | सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 2021011124000 / अ/2 वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री दिनेश कुमार साहू द्वारा ग्राम गनौद प.ह.नं. 26 रा.नि.मं. चंदखुरी में स्थित भूमि खसरा नं. 1046/18 रकबा 0.024 हे. याने 2583 वर्गफीट भूमि का व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वाद भूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा वादभूमि का रकबा 0.024 हे. याने 2583 वर्गफुट भूमि का पुर्ननिर्धारण व्यपवर्तन आवासीय प्रयोजन में करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में किसी को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि दिनांक 09/02/2021 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावा आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 18/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुहर से जारी किया गया है।

सील | सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 2021011124000 / अ/2 वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती हेमलता वर्मा पति श्री राम वर्मा द्वारा ग्राम मुनगेसर प.ह.नं. 03 में स्थित भूमि खसरा नं. 109/137 का रकबा 0.0230 हे. याने 2475 वर्गफीट भूमि का व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वाद भूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा वादभूमि का रकबा 0.0230 हे. याने 2475 वर्गफुट भूमि का पुर्ननिर्धारण व्यपवर्तन आवासीय प्रयोजन में करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में किसी को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि दिनांक 09/02/2021 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावा आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 18/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुहर से जारी किया गया है।

सील | सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम (जोन-4), रायपुर (छ.ग.)

प्रेस क्लब के बाजू, पानी टंकी मोतीबाग चौक

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 331/2020-21

वार्ड का नाम- पं. भगवतीचरण शुक्ल- 57

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पं. भगवतीचरण शुक्ल-57 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ 57/569/04 जो कि निगम अभिलेख में श्री कांवला राम पिता सुनहर के नाम से दर्ज है, जिसको श्री महेश यादव पिता स्व. बिजुराम यादव ने शपथ पत्र/ रजिस्ट्री के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी, जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जाने। | जोन कमिश्नर जोन क्र.-04 नगर निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम (जोन-4), रायपुर (छ.ग.)

प्रेस क्लब के बाजू, पानी टंकी मोतीबाग चौक

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 327/2020-21

वार्ड का नाम- पं. भगवतीचरण शुक्ल- 57

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पं. भगवतीचरण शुक्ल-57 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ 57/569 पेंशनबाड़ा जो कि निगम अभिलेख में श्री कांवला राम पिता श्री सुनहर के नाम से दर्ज है, जिसको श्री संतोष यादव पिता स्व. तीजूराम यादव ने शपथ पत्र/ रजिस्ट्री के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी, जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जाने। | जोन कमिश्नर जोन क्र.-04 नगर निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम (जोन-4), रायपुर (छ.ग.)

प्रेस क्लब के बाजू, पानी टंकी मोतीबाग चौक

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 333/2020-21

वार्ड का नाम- पं. भगवतीचरण शुक्ल- 57

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पं. भगवतीचरण शुक्ल-57 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ 57/56 जो कि निगम अभिलेख में श्रीमती खुशी पिंजानी पति श्री पवन कुमार पिंजानी के नाम से दर्ज है, जिसको श्रीमती दीपा थावानी पति ललित थवानी ने शपथ पत्र/ रजिस्ट्री के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी, जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जाने। | जोन कमिश्नर जोन क्र.-04 नगर निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम (जोन-4), रायपुर (छ.ग.)

प्रेस क्लब के बाजू, पानी टंकी मोतीबाग चौक

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 329/2020-21

वार्ड का नाम- पं. भगवतीचरण शुक्ल- 57

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पं. भगवतीचरण शुक्ल-57 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ 57/569/02 जो कि निगम अभिलेख में श्री कांवला राम पिता श्री सुनहर के नाम से दर्ज है, जिसको श्रीमती जोहत्री यादव पति स्व. बिसाहू राम ने शपथ पत्र/ रजिस्ट्री के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी, जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जाने। | जोन कमिश्नर जोन क्र.-04 नगर निगम, रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा पत्र

राप्रक्र. रजि. 202101100400156

पक्षकार का नाम- श्रीमती उमाबाई साहू

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती उमाबाई साहू पति श्री कन्हैयालाल साहू निवासी आर्यनगर कोहका भिलाई तह. व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन एवं पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172/59 (2)(5) के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
कोहका प.ह.न 19 तह.व जिला दुर्ग	267/28	0.010हे. 1500 वर्गफीट	आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण उद्घोषणा के प्रकाशन तिथि के 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 07.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया ।

सील | अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग, जिला-दुर्ग

कार्यालय, नगर पालिक निगम (जोन-4), रायपुर (छ.ग.)

प्रेस क्लब के बाजू, पानी टंकी मोतीबाग चौक

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 330/2020-21

वार्ड का नाम- पं. भगवतीचरण शुक्ल- 57

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पं. भगवतीचरण शुक्ल-57 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ 57/569/03 पेंशनबाड़ा जो कि निगम अभिलेख में श्री कांवला राम पिता श्री सुनहर के नाम से दर्ज है, जिसको श्री सेवकराम यादव पिता स्व. कांवलाराम यादव ने शपथ पत्र/ रजिस्ट्री के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी, जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जाने। | जोन कमिश्नर जोन क्र.-04 नगर निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम (जोन-4), रायपुर (छ.ग.)

प्रेस क्लब के बाजू, पानी टंकी मोतीबाग चौक

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 328/2020-21

वार्ड का नाम- पं. भगवतीचरण शुक्ल- 57

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पं. भगवतीचरण शुक्ल-57 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ 57/569/01 पेंशनबाड़ा जो कि निगम अभिलेख में श्री कांवला राम पिता श्री सुनहर के नाम से दर्ज है, जिसको श्री सुनील यादव पिता तीजूराम यादव ने शपथ पत्र/ रजिस्ट्री के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी, जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जाने। | जोन कमिश्नर जोन क्र.-04 नगर निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पाटन, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

प्र.क्र. अ-2 वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्व आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री नोगेन्द्र कुमार वर्मा पिता श्री रोमनाथ वर्मा निवासी सिरसाकला, भिलाई चरोदा, तह. पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.) के द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की भूमि ग्राम उरला प.ह.नं. 03 तह. पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.) में स्थित भूमि खसरा नं. 83/7, रकबा 0.020 हे. अर्थात 1732 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु पुनः निर्धारण के लिए आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत प्रस्तुत किया है, जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा आपत्ति हो तो प्रकरण में नियत दिनांक 5/2/21 तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 21/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर लगाकर जारी किया गया।

सील | अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पाटन, जिला-दुर्ग

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पाटन, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

प्र.क्र. अ-2 वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्व आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री सी.एच मोहन राव उम्र 48 वर्ष पिता स्व. सी.एच.शेष गिरी राव निवासी शंकर नगर वार्ड नं. 10 ओलम्पिया जिम के सामने, कुम्हारी तह. धमधा जिला दुर्ग (छ.ग.) द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की भूमि ग्राम उरला प.ह.नं. 03, रा.नि.मं. भिलाई-3 तह. पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.) में स्थित भूमि खसरा नं. 42/26 रकबा 0.015 हे. अर्थात 1800 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु पुनः निर्धारण के लिए आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत प्रस्तुत किया है, जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा आपत्ति हो तो प्रकरण में नियत दिनांक 5/2/21 तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 21/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर लगाकर जारी किया गया।

सील | अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पाटन, जिला-दुर्ग

न्यायालय नायब तहसीलदार भिलाई-3, तहसील पाटन, जिला दुर्ग छ.ग.

रा.प्र.क्र. ब-121-2020-21

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता ग्राम पचपेड़ी प.ह.नं. 12 रा.नि.मं. भिलाई-3, तहसील पाटन को सूचित किया जाता है कि आवेदक अजय कुमार बंजारे पिता रामचंद बंजारे निवासी पचपेड़ी द्वारा अपने पिता रामचंद बंजारे की मृत्यु दिनांक 14/10/1993 को हुआ है, जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने बाबत है। जिस पर किसी भी व्यक्ति को आपत्ति दावा पेश करना हो तो दिनांक 22/01/2021 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित रूप से नियत दिनांक तक आपत्ति पेश कर सकते हैं। तिथि पश्चात आने वाले आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 18/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी।

सील | तहसीलदार पाटन

न्यायालय नायब तहसीलदार भिलाई-3, तहसील पाटन, जिला दुर्ग छ.ग.

रा.प्र.क्र. ब-121-2020-21

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता ग्राम भिलाई-3 प.ह.नं. 01 रा.नि.मं. भिलाई-3, तहसील पाटन को सूचित किया जाता है कि आवेदक महावीर जैन पिता प्यारेलाल निवासी बाजार चौक वार्ड 15 भिलाई-3 द्वारा अपने पिता प्यारेलाल जैन की मृत्यु दिनांक 24/10/1984 को हुआ है, जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने बाबत है। जिस पर किसी भी व्यक्ति को आपत्ति दावा पेश करना हो तो दिनांक 22/01/2021 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित रूप से नियत दिनांक तक आपत्ति पेश कर सकते हैं। तिथि पश्चात आने वाले आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 11/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी।

सील | तहसीलदार पाटन

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

रा.प्र.क्र. अ/6/ 2020-21

उद्घोषणा

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक पुरूषोत्तम चन्द्राकर पिता बद्रीप्रसाद चंद्राकर निवासी चिचा, पो. बेरला मौजा रिसामा प.ह.नं. 45 रा.नि.मं. अण्डा तहसीपल व जिला दुर्ग स्थित भूमि ख.नं. 154, 155, 159/1, 161, 277 रकबा 0.1000, 0.0800, 9200, 0.9600, 0.700 हे. बद्रीप्रसाद चंद्राकर के नाम पर दर्ज है, भूमिस्वामी की मृत्यु दिनांक 08/11/2005 को हो जाने के कारण वारिसानों का नाम दर्ज करने आवेदन पेश किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/ आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 15/02/2021 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं। समयावधि समाप्त होने पर आपत्ति या दावा पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 19/01/2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

जारी दिनांक 19/01/2021

पेशी दिनांक 15/02/2021

सील | नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

मामला क्र. अ-6/2020-21

उद्घोषणा-पत्र

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक हेमलाल वर्मा पिता फत्तेलाल वर्मा निवासी कैलाश नगर हा. कुरूद भिलाई तह. व जिला दुर्ग के द्वारा अपने हक की क्रय शुदा भूमि ग्राम जुनवानी प.ह.नं. 21/53 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नं. 302/12 रकबा 334.57 वर्गमीटर में से 1800 वर्गफीट भूमि को विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता सीमा जिन्दल पति मनोज जिन्दल के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण सि न्यायालय में विचाराधीन है। अतः जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उक्त भूमि के संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 06/02/2021 तक स्वयं अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 18/01/2021 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पदमुद्रा से यह पत्र प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

सील | नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

मा.क्र.//अ-06/ वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती निशा मारकण्डे पिता/पति राजेश मारकण्डे साकिन नवागांव राजनांदगांव तह. व जिला राजनांदगांव के द्वारा अपने भूमिस्वामी हक की क्रयशुदा भूमि ग्राम जेवरा प.ह.न. 13 तहसील व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 288/1 रकबा 1056 वर्गफीट भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 24.11.2020 के आधार पर विक्रेता दीपप्रकाश पिता चण्डीलाल के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज कराने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 04.02.2021 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 19.01.2021 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

मुहर | अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

मा.क्र.//अ-06/ वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती आशा उके पति किशोर उके साकिन गौतम नगर सुपेला तह. व जिला दुर्ग के द्वारा अपने भूमिस्वामी हक की क्रयशुदा भूमि ग्राम जेवरा प.ह.न. 13 तहसील व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 288/1 रकबा 1226 वर्गफीट भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 24.11.2020 के आधार पर विक्रेता दीपप्रकाश पिता चण्डीलाल के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज कराने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 04.02.2021 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 19.01.2021 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

मुहर | अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

मा.क्र.//अ-06/ वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती सत्यभामा साहू पति रामप्रसाद साहू साकिन इंदिरा नगर जुनवानी तह. व जिला दुर्ग के द्वारा अपने भूमिस्वामी हक की क्रयशुदा भूमि ग्राम जेवरा प.ह.न. 13 तहसील व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 288/1 रकबा 2253 वर्गफीट भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 24.11.2020 के आधार पर विक्रेता दीपप्रकाश पिता चण्डीलाल के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज कराने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 04.02.2021 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 19.01.2021 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

मुहर | अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

मा.क्र.//अ-06/ वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका खुशबू मिश्रा पिता/पति सुखदेव मिश्रा साकिन कसारीडीह दुर्ग तह. व जिला दुर्ग के द्वारा अपने भूमिस्वामी हक की क्रयशुदा भूमि ग्राम जेवरा प.ह.न. 13 तहसील व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 288/1 रकबा 1796 वर्गफीट भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 24.11.2020 के आधार पर विक्रेता दीपप्रकाश पिता चण्डीलाल के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज कराने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 04.02.2021 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 19.01.2021 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

मुहर | अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

मा.क्र.//अ-06/ वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती रुखसाना खातून पति फिरोज आलम साकिन अदमापुर बिहार तह. व जिला दुर्ग के द्वारा अपने भूमिस्वामी हक की क्रयशुदा भूमि ग्राम जेवरा प.ह.न. 13 तहसील व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 288/1 रकबा 2112 वर्गफीट भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 23.11.2020 के आधार पर विक्रेता दीपप्रकाश पिता चण्डीलाल के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज कराने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 04.02.2021 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 19.01.2021 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

मुहर | अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

मा.क्र.//अ-06/ वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री शिवकुमार पिता बसंतराम ठाकुर साकिन जुनवानी तह. व जिला दुर्ग के द्वारा अपने भूमिस्वामी हक की क्रयशुदा भूमि ग्राम जेवरा प.ह.न. 13 तहसील व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 288/1 रकबा 1182 वर्गफीट भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 23.11.2020 के आधार पर विक्रेता दीपप्रकाश पिता चण्डीलाल के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज कराने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 04.02.2021 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 19.01.2021 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

मुहर | अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

मा.क्र.//अ-06/ वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री प्रवीण पाण्डेय पिता महावीरशरण पाण्डेय साकिन शंकर नगर दुर्ग तह. व जिला दुर्ग के द्वारा अपने भूमिस्वामी हक की क्रयशुदा भूमि ग्राम जेवरा प.ह.न. 13 तहसील व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 288/1 रकबा 1256 वर्गफीट भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 23.11.2020 के आधार पर विक्रेता दीपप्रकाश पिता चण्डीलाल के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज कराने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 04.02.2021 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 19.01.2021 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

मुहर | अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

मा.क्र.//अ-06/ वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री सुब्रत कुमार देवांगन पिता श्री जे.के. देवांगन साकिन रिसाली तह. व जिला दुर्ग के द्वारा अपने भूमिस्वामी हक की क्रयशुदा भूमि ग्राम जेवरा प.ह.न. 13 तहसील व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 288/1 रकबा 786 वर्गफीट भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 23.11.2020 के आधार पर विक्रेता दीपप्रकाश पिता चण्डीलाल के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज कराने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 04.02.2021 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 19.01.2021 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

मुहर | अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

50 वर्षीय व्यक्ति ने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या

लवन। नगर के मुख्य मार्ग से लगे गुरूघासीदास चौक महात्मागांधी वार्ड 06 में एक युवक ने बीती रात अपने घर में फांसी लगाकर आत्म हत्या कर ली। मृतक व्यक्ति शराब, गांजा पीने का आदि होना बताया जा रहा है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार लवन नगर के गुरूघासीदास चौक स्थित महात्मा गांधी वार्ड क्र. 06 में भद्रसेन जांगड़े पिता प्रेमलाल जांगड़े उम्र 50 साल ने 20 जनवरी की रात अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक शराब, गांजा पीने का आदि था व मानसिक रूप से बिमार था। सूचनाकर्ता सेतराम जांगड़े मृतक के बड़े भाई की रिपोर्ट पर पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। उक्त मामले का पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना में लिया।

पार्षद शीला साहू ने किया नाली निर्माण का भूमिपूजन

भटगांव। नगर पंचायत भटगांव के वार्ड क्रमांक 2 में नाली निर्माण का भूमि पूजन पार्षद शीला साहू द्वारा किया गया जिसकी लागत 14 लाख 27 हजार रुपए हैं यह नाली नगर पंचायत कार्यालय के सामने चांपा रोड में बनेगा वही नगर के बड़े तालाब में भी सीसी रोड का भूमि पूजन वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद प्रतिनिधि गुड्डा साहू वार्ड क्रमांक 4 के पार्षद प्रतिनिधि लीलाधर वैष्णव वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद प्रतिनिधि सुरेश रघु वार्ड क्रमांक 1 के पार्षद प्रतिनिधि अशोक साहू वार्ड क्रमांक सात के पार्षद प्रतिनिधि राजेश केसरवानी के साथ वार्ड क्रमांक 9 के पार्षद राजेश सिदार वार्ड क्रमांक 15 के पार्षद दुष्यंत नवरंग व नगर के रूप नारायण ठाकुर अखिलेश आशीष केसरवानी सहित वार्ड वासियों में महिला पुरुष शामिल रहे।

सरकारी नाले में अवैध ईंट भट्ठे का संचालन

डोंगरगढ़। क्षेत्र में इन दिनों अवैध इटा भट्टी की मानो बाढ सी आ गई है सचांलक अब शासकिय नालो को भी अवैध रूप से अतिक्रमण कर भट्टी संचालित कर रहे है मांमला शिवपुरी से ढारा मुख्य मार्ग में स्थित शासकिय नाले में प्रशासन के नाक के नीचे अवैध इटा भट्टी संचालत करने का सामने आया है। बताया जा रहा है उक्त इटा भटटी को शासकिय नाले में कब्जा करने के साथ ही कटाव कर बडे पैमाने में इटा तैयार किया जा रहा है जब इस बारे में वहा कार्यरत मजदुरो से पुछा गया तो बताया कि लगभग 1 माह से इस नाले से मिट्टी निकालकर इटा तैयार किया जा रहा है जिसे बडी रकम लेकर आसपास के क्षेत्रो में सप्लाई किया जाता है वही शासकिय नाले में कटाव कर इटा भट्टी संचालित होने की आसपास के ग्रामीणो ने नाराजगी देखी गई है ग्रामीणो ने उक्त मांमले की शिकायत सबंधित विभाग को करने की बात कही है।

पान दुकान की आड़ में सट्टा लिखते युवक पकड़ाया, पट्टी- मोबाइल जब्त

भाटापारा। शहर पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जो पान दुकान की आड़ में लगातार लम्बे समय से सट्टा का कारोबार कर रहा था।पुलिस ने उसके कब्जे से सट्टा पट्टी,नकदी रकम और मोबाईल को जब्त कर उसके खिलाफ4 (क) जुवा एक्ट के तहत कार्यवाही की है। उपरोक्त सम्बन्ध में थाना शहर से मिली जानकारी अनुसार पुलिस अधीक्षकआई.के.एलेसेला के द्वारा सट्टा कारोबारियो के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु दिए गए कडे निर्देश के तहत थाना प्रभारी थाना शहर प्रशिक्षु आईपीएस जितेन्द्र कुमार यादव निरीक्षक विजय चौधरी के कुशल नेतृत्व में पुलिस ने धर पकड कार्यवाही करते हुए मुखबीर की सुचना पर सदर वार्ड में महिपाल सिंह ठाकुर अपने पान ठेला में सट्टा पट्टी रूपये पैसो का लालच देकर अंको से एवं मोबाईल से सट्टा खिलाते पकड़ा गया।पुलिस ने उसके कब्जे से 02 नग सट्टा पट्टी 02 पन्ने एक नीला रंग का डाट पेन, एक सैमसंग मोबाईल कंपनी कीपेड किमती 500/- रू. एवं नगदी 1020 रूपये नगदी जब्त कर *आरोपी महिपाल सिंह ठाकुर पिता दिलीप सिंह ठाकुर उम्र 50 साल साकिन सदर वार्ड भाटापारा* के खिलाफका धारा 4(क) जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की है।उक्त कार्यवाही में सउनि विजय केशरिया, प्रआर त्रिलोकी बघेल, आर.श्रीचंद ध्रुव , आर. विजेन्द्र निराला का विशेष योगदान रहा ।

बाइक चोरी करने वाले चोरों को पकड़ने में पुलिस को मिली सफलता

■ **चोरी की 6 बाइक बरामद**

कवर्धा (नवप्रदेश)। मुखबीर से सूचना मिला कि दो व्यक्ति राजमहल चैक में चोरी के मो.सा. रखकर ग्राहकों की तलाश कर रहे हैं, कि सूचना प्राप्त होते ही थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा मौके पर जाकर घेराबंदी करने पर जयराम उर्फ जय उर्फ कैदी पिता भगवंता धुर्वे उम्र 19 वर्ष सा.राजमहल कालोनी कवर्धा एवं नितन उर्फ छोटू पिता पुन्नी निषाद उम्र 19 वर्ष सा . समनापुर मिले जिनसे गाडी के कागजात प्रस्तुत करने कहने पर कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाए तथा पूछताछ करने पर चोरी करना स्वीकार किए साथ ही दोनों आरोपियों द्वारा समनापुर मुंगेली बेमेतरा दुर्ग व स.लोहारा से कुल 02 स्कूटी 04 मो.सा. चोरी करना बताये जिसकी कुल कीमत 1.60 लाख रूपये है जिसे आरोपीगणों के कब्जे से जप्त कर थाना कवर्धा में इस्त.क. 01/21 धारा 41 (14) जा.फौ. धारा 379 भादवि पंजीबद्ध कर आरोपीगणों को ज्यू रिमाण्ड पर भेजा गया है उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरी . मुकेश सोम , सउनि कौशल साहू , प्र.आर. 297 चुम्मन साहू , आर . 494 गज्जू सिंह , आर . 381 शमशेर अली , आर . 337 राजेश्वर कोसरिया , आर . 519 पवन राजपूत आर . 683 बिरेन्द्र साहू , आर . 342 रविप्रकाश पटले सैनिक 80 अनिल पाण्डेय का सराहनीय योगदान रहा ।

रबेली और जिन्दा धान खरीदी केन्द्रों में दो अलग-अलग किसानों से 120 क्विंटल अवैध धान जब्त

कवर्धा (नवप्रदेश)। धान खरीदी केन्द्रों में अमानक और अवैध धान खरीदी को रोकने और ऐसे प्रकरणों में संबंधित व्यक्तियों पर जिला प्रशासन की टीम द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। कवर्धा राजस्व अमले की टीम ने आज फिर कवर्धा विकासखण्ड के रबेली और जिन्दा धान खरीदी केन्द्रों में दो अलग-अलग किसानों से 120 क्विंटल अवैध और अमानाक धान जब्त की है। यह कार्यवाही कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा के मार्गदर्शन और कवर्धा एसडीएम विनय सोनी के निर्देश पर नायाब तहसीलदार राधेश्याम वर्मा के नेतृत्व में कृषि विभाग और राजस्व अमले की संयुक्त टीम द्वारा की गई।कवर्धा विकासखण्ड के धान खरीदी केंद्र जिंदा में रामानुज निवासी ग्राम कुटकीपारा द्वारा अपने खाते में धरमपुरा निवासी श्री मोहन साहू का धान विक्रय करते हुए पकड़ा गया। पंजीकृत कृषक श्री रामानुज का धान उपार्जन केंद्र जिंदा में 37.20 क्विंटल का टोकन जारी हुआ था। इसी प्रकार धान खरीदी केंद्र रवेली का आकस्मिक निरीक्षण करने पर जुड़ावन जायसवाल, निवासी ग्राम सूरजपुरा द्वारा 101 कट्ठा धान पुराना और 113 कट्ठा क्रय किया हुआ धान बिक्री करते हुए पकड़ा गया। जुड़ावन जायसवाल का धान खरीदी केंद्र रवेली में 100 क्विंटल का टोकन जारी हुआ था। उसके द्वारा आज कुल 264 कट्ठा धान बिक्री करने के लिए लाया गया था। दोनों ही किसानों से पूछताछ करने पर संतोषजनक जवाब नहीं देने पर, साथ ही संबंधित ग्राम वासियों से पूछताछ करने पर उनका स्वयं का धान होने की पुष्टि नहीं होने पर दोनों ही कृषकों से धान की जब्ती कर ली गई है। रामानुज साहू निवासी ग्राम कुटकीपारा से 50 कट्ठा धान (मात्रा लगभग 20 क्विंटल) एवं जुड़ावन जायसवाल निवासी ग्राम सूरजपुरा से 264 कट्ठा पतला धान (मात्रा लगभग 100 क्विंटल) की जब्ती बनाई गई है। जब्ती की टीम में नायाब तहसीलदार राधेश्याम वर्मा, हल्का पटवारी रवेली सतीश चंद्राकर, हल्का पटवारी जिंदा शिव कुमार पाली, कृषि विस्तार अधिकारी अनुज प्रकाश साहू कवर्धा उपस्थित रहे।

उपसरपंच संघ की ब्लॉक स्तरीय कार्यकारणी गठित

डोंगरगढ़। खैरागढ ब्लांक उपसरपंच संघ द्वारा विगत दिनों बैठक कर ब्लांक स्तरीय पदाधिकारीयो का सर्वसमिति से मनोनित किया गया। जिसमें जिला से सलाहकार एंव संरक्षक के रूप में दादुराम देवांगन ग्राम पंचायत तुलसीपुर ,जितेद्र गेडर्रे सलोनी, संजय साहु अछोली एंव खैरागढ ब्लांक में सरंक्षक इंदल साहु ग्राम रूसे, उमेद्र देवांगन ठेलकाडीह, पंचु राम साहु मुढीपार , अध्यक्ष इंदल विष्णु दास साहु ग्राम पंचायत टोलागांव, उपाध्यक्ष कमलेश वर्मा साल्हेभर्री , जितेद वर्मा मडोदा, महामंत्री मानिक टंडन देवरी , दशरथ वर्मा मंडला, मंत्री परसराम साहु बल्देवपुर, कोषाध्यक्ष संतोष कर्ष ग्राम पंचायत पादाडांह, चम्पेला विश्वकर्मा सिंगापुर ,संचीव टिकम बंजारे, प्रकाशपुर, जितेद्र वर्मा चिचोला , सहसचीव रूखमणी बाई साहु खम्हारडीह, सह सचीव मनोहर यादव मुहडबरी, मिडिया प्रभारी प्रविन बंजारे घोठिया, अजय वर्मा डुंडा चंदेनी वही सदस्य के रूप में माधव साहु सर्रागोंदी, ललीत निषाद कामठा, सेवाराम बैगाटोला, माइकल साहु आमदानी नोहर साहु सिंगारघाट, चोवाराम निषाद खपरी सिदार , जगदीश पाल कुकुरमुदा शामिल है । बैठक में बताया गया कि आगामी 28 जनवरी को राजनांदगाव में भव्य कार्यक्रम व रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौपा जाएगा जिसमें संघ की मांग उपसरपंचो का मानदेय, हस्ताक्षर का उपयोग सहीत अन्य समस्या से अवगत कराया जाएगा । उक्त बैठक में अचंल के सभी उपसरपंच उपस्थित थे।

खेल से बच्चों का शारीरिक विकास - नीलू चंद्रवंशी

पंडरिया(नवप्रदेश) । पंडरिया विधानसभा के ग्राम डौकाबांधा में क्रिकेट मैच प्रतियोगिता के पुरुष्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि जिला कांग्रेस कमेटी कबीरधाम अध्यक्ष नीलू चंद्रवंशी , पोखराज चंद्रवंशी ,गेंदु चंद्रवंशी , एवं ग्राम डौकाबांधा के समस्त ग्रामवासियों की उपस्थिति में पुरुष्कार वितरण किया गया।प्रथम पुरुष्कार जिला कांग्रेस अध्यक्ष नीलू चंद्रवंशी जी द्वार ग्राम सोहागपुर की खिलाड़ियों को 15 हजार रु नगद एवं शील्ड द्वितीय पुरुष्कार ग्राम डौकाबांधा के खिलाड़ियों को पोखराज चंद्रवंशी चंद्रवंशीजी के द्वारा 10 हजार रु नगद एवं शील्ड वितरण किया गया। पुरुष्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए नीलू चंद्रवंशी ने कहा कि भिन्न-भिन्न आयु वर्ग के बच्चे विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं। ये विभिन्न प्रकार के खेल बच्चों के समपूर्ण विकास में सहायक होते हैं। खेल से बच्चों का शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास एवम् नैतिक विकास को बढ़ावा मिलता है।

ढारा में बहेगी विकास की धारा - गुरुदयाल

बेमेतरा। ग्राम पंचायत ढारा में त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों का सम्मान समारोह क्षेत्र के विधायक संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे के उपस्थिति में सम्पन्न हुआ, इस दौरान मड़ई मातर का भी आयोजन किया गया था। संसदीय सचिव ने अपने उद्बोधन में कहा कि कॅरोना के कारण गांवों में आने जाने का सिलसिला थम गया था, अब प्रदेश में वैक्सीन आ गया है, मैंने खुद तैयारियों का जायजा स्वास्थ केंद्र पहुच कर लिया है। प्रथम चरण में हेल्थ वर्करों को लगाया जा रहा है, फिर आप लोगो को लगाया जाएगा, ताकि जनजीवन पहले की तरह सामान्य भयमुक्त हो सके। ढारा पंचायत में विकास की धारा बहेगी ये भूपेश बघेल की सरकार है प्रदेश में जहाँ कभी नही पहुचा वहाँ जाकर सरकार विकास कर रही हैं।

क्षेत्र में 15 साल गुरु की दशा

जिला पंचायत सदस्य प्रज्ञा निर्वाणी ने कहा कि गुरुदयाल भाई के नाम मे गुरु है, मान के चलो क्षेत्र में विकास और उन्नति की गुरु की महादशा चालू हो गयी है और जब जीवन मे गुरु की महादशा चालू होती है तो उसका शुभ फल ही मिलता है, मैंने जब जब जिस गांव के विकास की स्वीकृति मांगी है। गुरुदयाल भाई ने खुशी से स्वीकृत किया है। उनके आंखों में क्षेत्र के विकास के सपने रहते है। यह भी सब जान ले क्षेत्र में गुरु की महादशा पूरे 15 साल चलेगी।

राम नाम की महिमा से मानव भवसागर तर जाता है - योगेश तिवारी

बेमेतरा। बेरला ब्लॉक के ग्राम खम्हरिया (रांका) में आयोजित पांच दिवसीय श्री रामकथा मानस गान प्रतियोगिता में किसान नेता योगेश तिवारी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान समिति के सदस्यों ने मुख्य अतिथि का फूल माला पहनाकर स्वागत। समारोह मे मुख्य अतिथि योगेश तिवारी ने कहा कि इस युग में भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल, किंतु प्रबल साधन रामनाम जप ही है। इसमें एक बहुत बड़ा सद्गुण यह है कि सतयुग में भगवान के ध्यान, तप और त्रेता युग में यज्ञ-अनुष्ठान, द्वापर युग में पूजा-अर्चना से जो फल मिलता था, कलियुग में वह पुण्य श्रीराम के नाम-संकीर्तन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। त्रेता युग में लोग सैकड़ों वर्ष यज्ञ करते थे तो उन्हें फल मिलता था, वो फल कलियुग में भगवान के नाम का कीर्तन करने मात्र से मिल जाता है। श्रीराम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। इसलिए सारे भरोसे त्यागकर जो श्रीरामजी को भजता है और प्रेम सहित उनकी महिमा को समूहों में गाता है, वही भवसागर से तर जाता है। नाम का प्रताप कलियुग में प्रत्यक्ष है। नाम जप से बढ़कर कोई भी साधना नहीं है। राम नाम जप का सबसे आसान साधन राम मानस गान है । इस तरह के आयोजन से लोगो में भक्ति भाव का संचार होता है।

प्रथम पृष्ठ का शेष...

पुणे के सीरम...

की इसी की बनाई वैक्सीन आई है। भारत सरकार द्वारा भेजी गई है।

यूपी के हर गांव...

लगते पार्टी महासचिव की तस्वीर छपी है। हाथरस जाते हुए रास्ते में पुलिसिया लाठीचार्ज से कार्यकर्ताओं को बचाते हुए भी महासचिव की तस्वीर इस कैलेंडर में है। सीएए-एनआरसी के खिलाफ लगातार सड़कों पर संघर्ष करती रही प्रियंका की एक तस्वीर आजमगढ़ जिले की भी है, जिसमें वे पीड़ित परिवार की एक बच्ची के आंसू पोछ रही हैं। कैलेंडर में इसके साथ अमेठी, राएबरेली, हरियाणा, झारखंड सहित यूपी में प्रियंका गांधी द्वारा किये गए जन संपर्कों की तस्वीरें बहुत करीने से छापी गई हैं।

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं SUSHIL KUMAR KINGRANI S/O PANJUMAL KINGRANI निवासी - SWAMI TEURAM NAGAR MATADEWALYA WARD BHATAPARA DIST. BALODA BAZAR BHATAPARA (C.G.) 493118 यह शपथ करता हूं कि मैंने अपना यह पुराना नाम को त्याग कर नया नाम SUSHIL KINGRANI S/O PANJUMAL KINGRANI रख लिया हूं। अतः आज से मुझे समस्त शासकीय, अर्धशासकीय व अन्य दस्तावेजों में मेरे नये नाम SUSHIL KINGRANI S/O PANJUMAL KINGRANI से ही जाना पहचाना जावे।

SUSHIL KINGRANI
SWAMI TEURAM NAGAR
MATADEWALYA WARD
BHATAPARA DIST. BALODA
BAZAR BHATAPARA
(C.G.) 493118

कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक-02
शहीद स्मारक स्कूल के.के. रोड रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना

नामांतरण प्र.क्र. 241/2020-21
वार्ड का नाम- श. हेमू कालाणी-28

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि श. हेमू कालाणी 28 स्थित मकान/ भूमि शाप नं. 5, 6 का भाग जो कि निगम अभिलेख में श्री अजीत कुमार धनवानी आ. विशनदास, कमलेश राजपाल आ. दर्शनलाल के नाम से दर्ज है, जिसको श्री वैभव श्रीवास्तव आ. अनिल श्रीवास्तव ने रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन आयुक्त
जोन क्रमांक- 02
नगर पालिक निगम, रायपुर

कार्यालय, नगर पालिक निगम (जोन-4), रायपुर (छ.ग.)
प्रेस क्लब के बाजू, पानी टंकी मोतीबाग चौक

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 337/2020-21
वार्ड का नाम- ब्राम्हणपारा- 44

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि ब्राम्हणपारा वार्ड 44 स्थित मकान/ भूमि/ 44/ नया जो कि निगम अभिलेख में श्रीमती गिरजादेवी शर्मा पति स्व. परमानंद शर्मा के नाम से दर्ज है, जिसको श्री पंडित राम शर्मा पिता पंडित परमानंद शर्मा ने शपथ पत्र/ रजिस्ट्री के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी, जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जाने।

जोन कमिश्नर
जोन क्र.-04
नगर निगम, रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार छुईखदान के न्यायालय में मामला क्रमांक 202012092700025
विषय-ब-121 मामले की श्रेणी-राजस्व सन् 2020-21
खैरानवापारा प.ह.नं. 00031 (हे.)
पक्षकारों का विवरण-
आवेदक पक्षकार - गजेन्द्रराम ध्रुर्वे,
अनावेदक पक्षकार -

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक गजेन्द्रराम पिता संतराम जाति गोड़ निवासी खैरनवापारा तहसील छुईखदान के द्वारा अपनी दादी सुखमबाई पति बैशाखुराम का मृत्यु दिनांक 28.12.2012 को ग्राम खैरानवापारा में होना उल्लेखित करते हुए मृत्यु दिनांक ग्राम पंचायत में पंजीयन किए जाने निर्देश जारी करने आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई दावा-आपत्ति हो तो नियत पेशी दिनांक 28/01/2021 को या पूर्व इस न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा अधिवक्ता के माध्यम से अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं, तिथि समाप्त पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 26/12/2020 को जारी किया जाता हैं।

सील
Pritam Kumar Sahu
तहसीलदार
छुईखदान

न्यायालय तहसीलदार छुईखदान के न्यायालय में मामला क्रमांक 202012092700026
विषय-ब-121 मामले की श्रेणी-राजस्व सन् 2020-21
खैरानवापारा प.ह.नं. 00031 (हे.)
पक्षकारों का विवरण-
आवेदक पक्षकार - गजेन्द्रराम ध्रुर्वे,
अनावेदक पक्षकार -

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक गजेन्द्रराम धुर्वे पिता स्व. संतराम धुर्वे जाति गोड़ निवासी खैरनवापारा तहसील छुईखदान के द्वारा अपने पिता संतराम ध्रुर्वे पिता बैशाखु धुर्वे का मृत्यु दिनांक 16.07.2008 को ग्राम तेन्दूभाठा में होना उल्लेखित करते हुए मृत्यु दिनांक ग्राम पंचायत में पंजीयन किए जाने निर्देश जारी करने आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई दावा-आपत्ति हो तो नियत पेशी दिनांक 28/01/2021 को या पूर्व इस न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा अधिवक्ता के माध्यम से अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं, तिथि समाप्त पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 26/12/2020 को जारी किया जाता हैं।

सील
Pritam Kumar Sahu
तहसीलदार
छुईखदान

कार्यालय नगर पालिका परिषद भाटापारा
जिला बलौदाबाजार- भाटापारा (छ.ग.)
Telephone 07726-221068 Email address- cmobhatapara@rediffmail.com
क्र./4111/लो.नि.वि./न.पा.प./2020 — भाटापारा, दिनांक 21.01.2021

ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद भाटापारा द्वारा 14वें वित्त आयोग मद एवं नवीन राज्य प्रवर्तित योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि से कार्य कराए जाने हेतु सक्षम श्रेणी में पंजीकृत निविदाकारों से ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र.	सिस्टम टेंडर क्रमांक	कार्य का नाम	लागत राशि (लाख में)	निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की अंतिम तिथि
1	70045	14वें वित्त आयोग मद अंतर्गत गांधी मंदिर वार्ड क्र. 10 में सरस्वती नाला डबरी से मुख्य नाला कल्याण सागर एवं लिंक रोड तक नाला निर्माण। (द्वितीय निविदा)	21.00	05.02.2021
2	70056	14वें वित्त आयोग मद अंतर्गत के.के. वार्ड क्र. 09 में कल्याण सागर तालाब के चारों तरफ नाली निर्माण कार्य (प्रथम निविदा)	29.24	10.02.2021
3.	70959	नवीन राज्य प्रवर्तित योजना अंतर्गत वार्ड क्र. 24 में पौनी पसारी निर्माण कार्य। (प्रथम निविदा)	25.53	

टीप :- 01. उपरोक्त निविदा से संबंधी अन्य जानकारियां संबंधित विभाग से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है तथा निविदा विभागीय वेबसाईट www.uad.cg.gov.in पर देखी जा सकती है। संबंधित कार्यों के लिए इसी प्रकृति का कार्य अनुभव निविदा राशि तक होना आवश्यक है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद भाटापारा

1. पालीथीन का उपयोग ना करें 2. खुले में शौच प्रथा बंद कर स्वच्छ भारत निर्माण में योगदान दें 3. कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क का प्रयोग करें।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता लो.नि.वि. वि/यां. संभाग रायपुर छ.ग.
निविदा आमंत्रण सूचना
क्रमांक -391/NIT-36/2020-21/वलेलि — दिनांक 19/01/2021

निम्नलिखित टेंडर मूल निर्माता या अधिकृत विक्रेता एवं एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों हेतु मैनुअल निविदा आमंत्रित की जाती है :-

एनआईटी क्र. निविदा क्र.	कार्य का नाम/ NoOfCalls	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में)
1	2	3
36 T0355	Providing AC maintenance work in Nimora and mana under PWD E/M Mantralay sub division Raipur प्रथम आमंत्रण	5.00
36 T0356	E/f work to OW/MOW/Deposit Electrification work in PWD E&M DKS (M) Subdivision, Raipur (C.G.) प्रथम आमंत्रण	10.00
36 T0357	Supply Installation and maintenance of Monoblock, Openwell Submersible Pump at Nimora, Mana and Kachna E/M Section under PWD E/M Mantralay Subdivision Raipur प्रथम आमंत्रण	7.00
36 T0358	Providing Eletrification work at Ayurvedic College Section under PWD (E/M) workshop Subdivision, Raipur (Zional work) प्रथम आमंत्रण	18.50
36 T0359	Providing E/F work at CG Bhawan, CG Sadan and Tribal Youth Hostel, Swarka New Delhi under PWD E/M Workshop Sub division, Raipur CG प्रथम आमंत्रण	18.50
36 T0360	Providing and Fixing of Electrification work to OW/MOW/ Deposit/SR/Ordinary repair at PWD E/M MLA Rest House Section under PWD E/M vidhansabha Subdivision Raipur प्रथम आमंत्रण	14.00
36 T0361	E/f work to OW/Deposit/MOW/SR and Ordinary maintenance work at Govt. Residential and non residential building under PWD B/R Devbhog subdivision Gariyaband (C.G.) प्रथम आमंत्रण	18.50
36 T0362	E/f work to OW/MOW/Deposit/SR/Ordanry repairing works at Govt. Residential non residential building under Revenue Department Mainpur Gariaband (C.G.) प्रथम आमंत्रण	16.80
36 T0363	Electrification works of Govt. Residential and non residential building to OW/MOW/Deposit/SR/Mnnual maintenance work to Block Pithora under PWD E/M Sub division Mahasamund (C.G.) प्रथम आमंत्रण	19.00
36 T0364	Electrification works of Govt. Residential and non residential building to OW/MOW/Deposit/SR/Annual Maintenance work at Block Basna Dist. Mahasamund (C.G.) प्रथम आमंत्रण	19.00

नोट :- निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 02/02/2021 अपरान्ह 5.30 बजे तक निविदा संबंधी शर्तें विभागीय वेबसाईट www.cg.nic.in/pwdraipur में Live Tender के अंतर्गत निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है। इनका अवलोकन संबंधित संभाग कार्यालय में किया जा सकता है।

शर्तें :- 1) उपरोक्त कार्यों के आवंटन प्राप्त होने पर ही नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

जी-86468/3

कार्यपालन अभियंता
वि./यां. संभाग लो.नि.वि.
ह्यरायपुर (छत्तीसगढ़)

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक यशवंत धोटे* द्वारा बंसल स्कूल कैम्पस, अशोक विहार कॉलोनी, पण्डरी से मुद्रित कर ब्रिस्टल चौक छोटापारा रायपुर से प्रकाशित,
फोन व फैक्स : 0771-4035602, RNI NO.CHHHIN/2012/41806/ डाक पंजीयन क्रमांक सी.जी./आर.वाई.पी. डीएन/40/2019-2021

भाजपा का 22 को प्रदेश स्तरीय हल्ला बोल, सभी जिलों में करेंगे धरना प्रदर्शन और कलेक्ट्रेट घेराव

नवप्रदेश संवाददाता

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ भाजपा 22 जनवरी को प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन करने जा रही है। पार्टी धान खरीदी में प्रदेश सरकार की विफलता को लेकर सभी जिलों में धरना प्रदर्शन करेगी और कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी। पार्टी प्रदेश प्रभारी डी पुरेन्द्रश्वरी भी रायपुर पहुंचकर धरने में शामिल होगी।

भाजपा ने आज सभी जिलों में प्रेसवार्ता कर धरना प्रदर्शन की रणनीति की जानकारी दी। प्रेसवार्ता में बताया गया कि सरकार किसानों का धान समर्थन मूल्य पर खरीदने में पूरी तरह असफल रही, भाजपा इसका विरोध करेगी और किसानों का धान अविलंब खरीदने और उनका भुगतान यथाशीघ्र करने की मांग करेगी।

गरियाबंद जिले में प्रेसवार्ता लेने पहुंचे पार्टी नेता केदार गुप्ता ने बताया कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की नीति और नियत साफ नही है। जिसका खामियाजा प्रदेश के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। सरकार किसानों का धान नही खरीद पा रही है और उसका ठिकरा केन्द्र सरकार पर फोड़कर अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण ही 26 महीने में 27 हजार करोड़ का लोन ले चुकी है। उन्होंने अपनी भाजपा सरकार की तुलना करते हुए बताया कि 15 साल में उनकी सरकार ने 35 हजार करोड़ का लोन लिया जबकि वर्तमान सरकार अल्पावधि में ही भारी भरकम लोन ले चुकी है। यह उनकी गलत नीतियों का ही प्रणाम है।

मीडिया से चर्चा करते हुए केदार गुप्ता ने बताया कि भाजपा किसानों के लिए सड़क की लड़ाई लड़ने को तैयार है। 22 जनवरी को पार्टी सभी जिलों में धरना प्रदर्शन करेगी और कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी। उसके बाद भी यदि सरकार ने अपनी नीति में परिवर्तन नही किया तो भाजपा आगे और उग्र आंदोलन करेगी।

हालांकि इस दौरान केदार गुप्ता कांग्रेस की तारीफभी कर बैठे। जब वे छत्तीसगढ़ सरकार को धान खरीदी में निकमा साबित करने में जुटे थे तो उस समय उदाहरण देते समय वे पंजाब की कांग्रेस सरकार की तारीफभी कर बैठे। उन्होंने कहा कि वहां की कांग्रेस सरकार किसानों का धान बेहतर तरीके से खरीद रही है।

इसके अलावा पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए भाजपा नेता ने बताया कि सरकार सभी मामलों में विफल साबित हो रही है। केंद्र सरकार द्वारा जारी 5 लाख पीएम आवास राज्य सरकार की उदासीनता के चलते मूर्तरूप नही ले आए रहे है।

बैठक में बिन्द्रानवागढ़ विधायक डमरूधर पुजारी, जिलाध्यक्ष राजेश साहू, नगरपालिका अध्यक्ष गफ्फू मेमन, मंडल अध्यक्ष सुरेन्द्र सोनटके और मीडिया प्रभारी राधेश्याम सोनवानी भी उपस्थित रहे।

न्यूज गैलरी

मुख्यमंत्री से मिलीं आश्रम की दो छात्राएं भेंट की सीसपेंसिल से बनाई सीएम की ही पेंटिंग

डौंडी। शहीद शिरोमणि गैंदसिंह शहादत दिवस पर हल्बी हल्बा आदिवासी समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम के अवसर में बुधवार को डौंडी ब्लॉक के आदिवासी बाहुल्य ग्राम ठेमाबुजुर्ग पहुचे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल से एकलव्य आदर्श

आवासीय विद्यालय की छात्रा दामिनी सिवाना और उनकी सहयोगी छात्रा ने मुलाकात की और दोनों बेटीयों द्वारा अपने हाथों से सिसपेन्सिल से बनाई गई मुख्यमंत्री की पेंटिंग भेट की मुख्यमंत्री ने भी बच्चों के द्वारा भेट की गई अपनी ही तस्वीर को देखते हुए मुस्कुराए और उनकी उज्वल भविष्य की कामना करते हुए आशिर्वाद दिया, दोनों बेटियां एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की छात्राएं है और ए पेंटिंग के माध्यम से विभिन्न चित्रों को बनाती है और लोगो को सन्देश भी अपनी पेंटिग के माध्यम देती है दोनों छात्राओं की ऐसी हुनर से उनका समाज भी काफी खुश है , वही बेटियों के इस प्रयास को सराहते हुए सहायक आयुक्त मायावारियर ने भी बेटियों को बधाई दी और उज्वल भविष्य की कामना की ।

राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष आज गरियाबंद प्रवास पर

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेश्री महन्त रामसुन्दर दास महाराज पीठाधीश्वर श्री दूधाधारी मठ रायपुर 22 जनवरी से

गरियाबंद प्रवास में रहेगें। 22 जनवरी सवेरे 10 बजे श्री दूधाधारी मठ रायपुर से रवाना होकर वे 11:30 बजे फिंगेश्वर ब्लाक के ग्राम बिजली पहुचेंगे। यहां वे मांडव्य ऋषि आश्रम में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। जिसके बाद दोपहर दो बजे विश्राम गृह गरियाबंद पहुंचकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ नागरिकों एवं अधिकारियों से चर्चा करेंगे। दोपहर तीन बजे कलेक्टर कार्यालय गरियाबंद में पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक में शामिल होंगे। शाम 6 बजे वापस रायपुर रवाना होंगे।

स्काउट गाइड ऑनलाइन पंजीयन हेतु बैठक सह प्रशिक्षण संपन्न

गरियाबंद। ब्लाक हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूल में संचालित स्काउट गाइड यूनिट के ऑनलाइन पंजीयन के लिए आवश्यक बैठक शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित की गई। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स गरियाबंद के जिला सचिव रोमन लाल साहू ने बैठक की अध्यक्षता की। डीओसी स्काउट आशीष साहू, डीओसी गाइड सीमा साहू, ब्लाक सचिव हीरा सिंह यादव, टेक्निकल प्रभारी चैतन्य यदु, क्वार्टर मास्टर प्रेम लाल साहू मंचासीन रहे। सर्वप्रथम जिला सचिव ने जिले में चल रहे गतिविधियों की जानकारी दी तथा जिन विद्यालयों में यूनिट संचालित नहीं हो रहा है उनमें संचालित किए जाने प्रयास करने व जिन विद्यालयों में छात्र छात्राएं तृतीय सोपान व निपुण का पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके हैं उन स्काउट गाइड व रोवर रेंजर को तृतीय सोपान जांच परीक्षा में भाग लेने हेतु 23 जनवरी को जिला प्रशिक्षण केन्द्र मजरकट्टा गरियाबंद में शामिल होने को कहा। उन्होंने बताया कि गरियाबंद जिले में जहां पहले दो चार बच्चों को राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त होता था वही अब 50 से अधिक बच्चे राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त कर रहे है। जो कि गर्व का विषय है। छात्र छात्राओं को इसका लाभ भी मिल रहा है। तत्पश्चात डीओसी स्काउट आशीष साहू एवं डीओसी गाइड सीमा साहू ने स्काउट गाइड के ऑनलाइन पंजीयन के विषय में विस्तार से जानकारी देते बताये कि किस प्रकार से लिंक को खोला जाना है व उसमें प्रत्येक प्रविष्टि को किस प्रकार से भरा जाना है तथा इसमें ग्रुप पंजीयन, लीडर पंजीयन तथा यूनिट पंजीयन के विषय में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ का पंजीयन हो चुका है, गरियाबंद जिले का भी पंजीयन हो चुका है। साथ ही गरियाबंद ब्लॉक का पंजीयन हो चुका है अब अपने स्कूल का पंजीयन किया जाना है। इसके लिए स्कूल के इमेल आईडी आवश्यक है। जिसमें स्कुल का पासवर्ड प्राप्त होगा पश्चात आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होगी।

दुष्कर्म करने वाले आरोपी को भेजा गया जेल

गरियाबंद। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक प्रार्थिया ने दिनांक 19 जनवरी को सिटी कोतवाली गरियाबंद में आकर थाना प्रभारी निरीक्षक वेदवती दरियो

को बताई कि 17 जनवरी को रात्रि करीबन 09:30 बजे जब वह खाना खाकर सो रही थी तभी गांव का एक लड़का मुकेश उर्फ लुकेश आया और दरवाजा खटखटाया दरवाजा खोलते ही पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारिरिक संबंध बनाया है, घटना को घर वालों तथा परिवार वालों से राय लेकर रिपोर्ट करने आना बताई जिसके बाद तुरंत धारा 458, 376 भादवि का एफआईआर दर्ज कर विवेचना में लिया गया। मामला गंभीर एवं महिला अपराध से सम्बंधित होने पर घटना की जानकारी तुरंत जिला के आला अधिकारियों का दी गई जिसके बाद जिला गरियाबंद के पुलिस कप्तान भोजराम पटेल के दिशा-निर्देश तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श सुखनंदन राठौर, के मार्गदर्शन, में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरीक्षक वेदवती दरियो द्वारा टीम बनाकर आरोपी की पता तलाश में जुट गये। पता तलाश दौरान आरोपी मुकेश उर्फलुकेश निषाद को घेराबंदी कर हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर पीड़ित महिला के साथ दुष्कर्म करने की बात स्वीकार किया गया। जिसे विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया।

नये बस स्टैण्ड में लाखों का विकास कार्य

नगर पंचायत के एक फैसले ने बदली सूरत

रोहित वर्मा

खरोरा (नवप्रदेश)। नगर के मुख्यमार्ग से लगा नया बस स्टैण्ड क्षेत्र जिसे व्यावसायिक क्षेत्र से जोड़ने के लिए पिछले एक दशक के दौरान नगर पंचायत एवं स्थानीय प्रशासन के व्दारा कई बाक प्रयाश किया गया, इसके बावजूद यह क्षेत्र व्यावसायिक क्षेत्र से जुड़ना तो दुर, यहॉ का सूनापन भी दुर नही हो पाया। नगर पंचायत व्दारा यहॉ बस स्टैण्ड स्थानांतरण करने के उद्देश्य से यात्री प्रतीक्षालय सहित लोगो की सुविधाओं को ध्यान रखकर शौचालय और पेयजल हेतू बोरखनन भी कराया गया। लाखों ख़र्च कर दर्जनों दुकानें और पुरे क्षेत्र मे सीसी कार्य के बावजूद इस एरिया मे कभी व्यापारिक वातावरण

नही बन पाया था। यहॉ कॉम्प्लेक्स मे निर्मित दुकानों के आवंटन पर बढ़चढ़कर हिस्सा लेने वाले नगर के कुछ व्यापारी कई वर्षो तक बस स्टैण्ड के इंतिजार मे अपने आप को ठगा सा महसूस करते रहे। वही कुछ वर्ष पुर्व यहॉ प्रशासनिक दबाव के चलते बसो के पहिये तो ज़रूर थमे लेकिन यहॉ का सुनापन इतने वर्षो बाद वर्तमान परिषद के साप्ताहिक गुरूवार बजार को यहॉ लाने के फैसले के बाद दुर होता नजर आ रहा है। इस क्षेत्र मे व्यापारिक वातावरण कैसे निर्मित हो, यहॉ के छोटे छोटे व्यपारीयो के जीविकोपार्जन हेतू पर्याप्त सुविधाये कैसे मुहैया कराई जाये ये वर्तमान परिषद पदाधिकारियों के लिए एक बडी चुनौती थी जिसका समाधान वर्तमान नपं अध्यक्ष अनिल सोनी एवं पार्षदों व्दारा नगर के साप्ताहिक गुरूवार बजार को यहॉ लाने के फैसले से तय हुआ। इस फैसले का नगर के लोगो सहित व्यपारीयो ने खुलकर स्वागत किया तो वही कुछ लोगो व्दारा इस फैसले को गलत बताकर विरोध भी किया गया, जिनके विरोध को नज़रअंदाज़ कर यहॉ बाज़ार लाने के फैसला का अब नगरवासी खुलकर तारिफ कर रहे है। बजार आने के कुछ ही हप्तो के भीतर नगर का यह मुख्यमार्ग क्षेत्र अब व्यापारिक वातावरण से गुलज़ार होने लगा है।

> **कभी था कचरे का ढेर, अब हुआ बजार गुलज़ार**
>
> नगर पहुँच मार्ग उक्त परिवर्तित बाज़ार स्थल जहॉ वर्षो से कचरे का ढेर लगा रहता था, इसी क्षेत्र से होकर बैतलहम नगरवासीयो का आना जाना रहता था जिनकी इस क्षेत्र मे साफसफाई को लेकर नगर पंचायत से शिकायत थी। वही इसी क्षेत्र मे दो बडे प्रतिष्ठित स्कुल होने के कारण इन स्कुलो मे पढ़ने वाले बच्चो एवं स्टॉप को भी आने जाने मे परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब बाज़ार शिफ़्टिंग के पहले ही नगर पंचायत व्दारा इस पुरे क्षेत्र मे फैले कचरे के ढेर को जेसीबी और ट्रेक्टर कि मदद से उठाया गया।

थाना प्रभारी आईपीएस जितेंद्र यादव को दी गई बिदाई

■ **यहाँ पर काफी कुछ सिखने को मिला: जितेंद्र यादव**

भाटापारा। मेरी यहाँ की पहली पोस्टिंग बहुत ही यादगार रहेगी,मुझे यहाँ पर काफी कुछ सीखने को मिला,जो भविष्य में मुझे हमेशा याद रहेगा,उक्त उदगार शहर थाना के प्रभारी प्रशिक्षु आईपीएस डॉ जितेंद्र कुमार यादव ने शहर थाना में पत्रकारो से मुखातिब होते हुए कही।

विदित हो डॉ जितेंद्र कुमार यादव अपना छोटा सा प्रशिक्षण कार्यकाल को पूरा कर 10 दिन पुलिस मुख्यालय में रहने के पश्चात अपनी अगली ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद जायेंगे। 2018 बैच के आईपीएस डॉ जितेंद्र यादव ने 1 नवम्बर को यहाँ ज्वॉइनिंग दी थी।भाटापारा शहर थाना का चार्ज लेने के बाद आईपीएस डा जितेंद्र कुमार यादव ने अपने लगभग 3 माह से भी कम के कार्यकाल के दौरान आम जनता और पुलिस के मध्य की दुरी को दूर करने में सफल रहे।उनकी सादगी व्यवहार के चलते उनके विभाग के लोग ही नही बल्कि यहाँ के लोग उनसे काफी प्रभावित और खुश थे।बुधवार को थाना परिसर में पत्रकारो से सीधी चर्चा करते हुए श्री यादव ने कहा की मुझे इस थाना की जो जवाबदारी वरिस्ठ अधिकारीयो ने दी थी उसमे मुझे आगे के लिए सीखने का अनुभव मिला। यहाँ के लोग भी काफी अच्छे मिलनसार है और पुलिस की मदद करने को हमेशा ततपर रहते है। बुधवार को आईपीएस डॉ जितेंद्र कुमार यादव के प्रशिक्षण कार्यकाल का अंतिम दिवस होने के कारण थाना भाटापारा स्टाफ द्वारा डॉ जितेंद्र यादव को पुष्पगुच्छ देकर विदाई दी गई व नये नगर निरीक्षक विजय चौधरी थाना प्रभारी चार्ज लेने पर स्वागत कर बधाई दी गई ।

क्रसर की डस्ट से पेड़-पौधे के साथ खेतों में भी जमी धूल की परत

ग्राम मुरा में 10 से अधिक स्टोन क्रशर चल रहे

खरोरा। खरोरा समीप्रस्त ग्राम मुरा में 10 से अधिक स्टोन क्रशर चल रहे हैं। खनिज विभाग इन क्रशर की जांच करने में कोताही बरत रहा है। यही कारण है कि आधे से ज्यादा क्रशर तय किए गए मापदंडों व नियमों के विपरीत चल रहे हैं। ज्यादातर क्रशर में निर्धारित गहराई से अधिक में खुदाई करने के अलावा हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है। इससे आसपास के गांवों के आवासों व फसलों पर असर पड़ रहा है । नियमानुसार क्रशर में डस्ट को बाहर जाने से रोकने के लिए डस्ट अरेस्टर होना चाहिए। जहां पर क्रशर संचालित है उस क्षेत्र के तीन ओर बड़ी दीवार होना चाहिए। पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से सघन पौधारोपण क्षेत्र में होना अनिवार्य है। नियम के तहत स्टोन क्रशर में सुबह व शाम सिंचाई होना अनिवार्य है। इन नियमों का कहीं भी पालन नहीं हो रहा है।

> अगर नियमो का किसी भी प्रकार उलंघन होगा तो सख्त कार्यवाही की जाएगी ।
>
> **हरकेश मुरारका,** माइनिंग अधिकारी
>
> परिक्षेत्र में कार्यवाही जारी है ।जल्द जांच टीम बना मुरा परिछेत्र में कार्यवाही की जाएगी।
>
> **ए पी सावंत,** पीआरओ पर्यावरण सरंक्षक मंडल

भवन की मांग को लेकर विधायक से मिला धनगांव का आदिवासी समाज

लवन। ग्राम पंचायत धनगांव के आदिवासी समाज के वरिष्ठजन परान ध्रुव, बिहारी ध्रुव, राधेश्याम ध्रुव, बिसौहा ध्रुव, नंदकुमार ध्रुव, रामप्रसाद ध्रुव, ईतवारी ध्रुव, शिवचरण नेताम, उमेश पोर्ते, दौलत ध्रुव ग्राम पंचायत सरपंच तुलसी मनहरे के नेतृत्व में कसडोल विधायक एवं संसदीय सचिव सुश्री शकुन्तला साहू से उसके निज निवास ग्राम रसौटा में 20 जनवरी दिन बुधवार को सौजन्य मुलाकात कर आदिवासी भवन की मांग को लेकर चर्चा किया गया।

24 जनवरी तक अनशन के बाद 25 जनवरी से मुख्यमंत्री निवास का सचिव संघ करेगा घेराव

लवन। प्रदेश पंचायत सचिवों की प्रांतीय आव्हान पर अपनी एक सुत्रीय मांग दो वर्ष परिक्षावधि समाप्त के बाद शासकीयकरण करने की मांग को लेकर विगत 26 दिसम्बर से चल रहे धरना प्रदर्शन काम बंद कलम बंद हड़ताल का 25वां दिवस तक शासन प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की सकारात्मक पहल नहीं होने से पंचायत सचिव अपनी आंदोलन को तेज करते हुए पूर्व में घोषित

कार्यक्रम के अनुसार धरना स्थल पर 21 जनवरी से आमरण अनशन प्रारंभ कर दिए है। जिला प्रवक्ता हरिकिशन वर्मा ने बताया कि शासन के 29 विभागों के 200 प्रकार के कार्य को सफल संचालन करने वाले जमीनी स्तर पर पकड़ एवं सम्पर्क रखने वाले पंचायती राज के सपनों को साकार करने वाले शासन एवं हितग्राहियों के बीच कड़ी के रूप में कार्य करने वाले सचिवों को आज शासन द्वारा अपने घोषणा पत्र में उल्लेख करने के बाद भी छला जा रहा है। सचिवों के हड़ताल में चले जाने पर जन्म-मृत्यु पेंशन भुगतान और आवास के हितग्राही दर-दर भटक रहे है। सरपंचों द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यो की राशि आहरण नहीं हो पाने के कारण निर्माण कार्य बंद कर दिया गया है।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 2021011124000 / अ/2 वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती रूचि प्रधान पति श्री राजकुमार प्रधान द्वारा ग्राम गुजरा प.ह.नं. 25 रा.नि.मं. चंदखुरी में स्थित भूमि खसरा नं. 209/6 रकबा 0.02 हे. याने 2000 वर्गफीट भूमि का व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वाद भूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा वादभूमि का रकबा 0.02 हे. याने 2000 वर्गफुट भूमि का पुर्ननिर्धारण व्यपवर्तन आवासीय प्रयोजन में करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में किसी को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि दिनांक 09/02/2021 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावा आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 18/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुहर से जारी किया गया है।

सील — **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 202101112400037/ अ/2 वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि आवेदक वाघ इंडस्ट्रीज द्वारा भागीदार हर्षित अग्रवाल पिता श्री मुकेश अग्रवाल वगै. निवासी रायपुर द्वारा ग्राम कुटेशर, प.ह.नं. 10 में स्थित भूमि खसरा नं. 380/12 का रकबा 0.60, खसरा नं. 379/2 का रकबा 0.80 हे. कुल खसरा नं. 02 कुल रकबा 1.400 हे. भूमि का व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वाद भूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा वादभूमि का कुल खसरा नंबर 02 कुल रकबा 1.400 हे. भूमि का पुर्ननिर्धारण व्यपवर्तन औद्योगिक प्रयोजन में करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में किसी को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि दिनांक 09/02/2021 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावा आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 15/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुहर से जारी किया गया है।

सील — **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 2021011124000/ अ/2 वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि आवेदक मो. सलीम पिता मोहम्मद इदरीश निवासी नेहरू नगर रायपुर द्वारा ग्राम मुनरेठी प.ह.नं. 12 में स्थित भूमि खसरा नं. 172 का रकबा 3.23 हे. में से रकबा 0.40 हे. भूमि का व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वाद भूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा वादभूमि का रकबा 0.40 हे. भूमि का पुर्ननिर्धारण व्यपवर्तन व्यवसायिक प्रयोजन में करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में किसी को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि दिनांक 30/01/2021 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावा आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 15/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुहर से जारी किया गया है।

सील — **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 202101112400041/ अ/2 वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री जगदीश प्रसाद साहू पिता स्व. जुलाराम साहू द्वारा ग्राम मुनगेसर प.ह.नं. 03 में स्थित भूमि खसरा नं. 111/20 का रकबा 0.0020 हे. खसरा नं. 112/39 का रकबा 0.0210 हे. कुल रकबा 0.230 हे. भूमि का व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वाद भूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा वादभूमि का रकबा 0.230 हे. भूमि का पुर्ननिर्धारण व्यपवर्तन व्यवसायिक प्रयोजन में करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में किसी को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि दिनांक 09/02/2021 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावा आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 18/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुहर से जारी किया गया है।

सील — **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 202101112400042/ अ/2 वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि आवेदक दीपक सोनकर पिता राजेन्द्र प्रसाद सोनकर द्वारा ग्राम चंदखुरी प.ह.नं. 03 में स्थित भूमि खसरा नं. 536/4 रकबा 0.300 हे. का भाग रकबा 0.12 हे. भूमि का व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वाद भूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा वादभूमि का रकबा 0.12 हे. भूमि का पुर्ननिर्धारण व्यपवर्तन व्यवसायिक प्रयोजन में करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में किसी को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि दिनांक 09/02/2021 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावा आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 15/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुहर से जारी किया गया है।

सील — **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 2021011124000 / अ/2 वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती सरस्वती साहू पति नेहरूलाल साहू द्वारा ग्राम गुजरा प.ह.नं. 25 रा.नि.मं. चंदखुरी में स्थित भूमि खसरा नं. 209/7 रकबा 0.01 हे. याने 1500 वर्गफीट भूमि का व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वाद भूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा वादभूमि का रकबा 0.01 हे. याने 1500 वर्गफुट भूमि का पुर्ननिर्धारण व्यपवर्तन आवासीय प्रयोजन में करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में किसी को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि दिनांक 09/02/2021 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावा आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 18/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुहर से जारी किया गया है।

सील — **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)**

स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

हमने बढ़ाया छत्तीसगढ़ का मान

देश ने किया सम्मान

मोर जमीन मोर मकान में बेहतर प्रदर्शन के लिए
पीएमएवाई (यू) और आशा अवार्ड के तहत
तीन श्रेणियों में अवार्ड

सुराजी गांव योजना और
अन्य योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए
मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट एवं मोबाइल एप
को राष्ट्रीय स्तर पर
एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड्स-2020

भारत सरकार के **ग्रामीण विकास मंत्रालय** द्वारा
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन की रैंकिंग में
छत्तीसगढ़ देश में सबसे अव्वल

पंचायतों के कार्यों में
पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही लाने
आईसीटी (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी)
के उपयोग में छत्तीसगढ़ को
देश में दूसरा स्थान प्राप्त

बिलासपुर जिले में
नदी-नालों के पुनरुद्धार
व सूरजपुर जिले में
जल-संरक्षण कार्यों के लिए
नेशनल वाटर अवार्ड 2019

रायपुर जिले के आरंग विकासखंड
के **बनचरौदा पंचायत** को
नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्रामसभा पुरस्कार

भारत सरकार आवासन और
शहरी कार्य मंत्रालय
द्वारा आयोजित
स्वच्छता सर्वेक्षण 2020
के तहत छत्तीसगढ़ बना देश का
स्वच्छतम राज्य

छत्तीसगढ़ को
सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए
कृषि कर्मण पुरस्कार

**मनरेगा, आजीविका मिशन,
आवास योजना और पीएमजीएसवाई**
में उत्कृष्ट कार्यों के लिए
22 पुरस्कार

जनवरी 2020 में देश के 115 आकांक्षी जिलों में
दन्तेवाड़ा को **मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान** के लिए
सिल्वर स्कॉच अवार्ड

2 साल
बात है अभिमान के
छत्तीसगढ़िया
स्वाभिमान के

श्री भूपेश बघेल
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

सेवा-जतन-सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार